

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 762 बैठक दिनांक 03/06/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए. के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. P2/632/24 Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) – 11,738 m³/Year (Khasra No. 30), Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.) SIA/MP/MIN/466112/2024 (B-2)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1157 दिनांक 30/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 18 दिनांक 09/2/2017 के द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m ³ /Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	(Gitti) – 11,738 m ³ /Year घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 50 मीटर पर नाला स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिप्राटा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 08/04/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— स्टाप डेम / प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा— स्टाप डेम लगभग 11 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेक की 752वीं बैठक में दिनांक 16/05/2024 को निम्न जानकारी चाही गई थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri MUKESH PATIDAR, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा पत्र क्रमांक 980 दिनांक 15/04/2024 के माध्यम से खदान क्षेत्र के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत अतिरिक्त अक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये गये हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अक्षांश/देशांश के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में एक स्टाप डेम एवं प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. तथा एवं दक्षिण -पश्चिम दिशा में एक और स्टाप डेम लगभग 11 मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यावहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

2. Case No. P2/715/24 Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) 10,769 cum/annum) (Khasra No. 548/1,554 & 557), Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar (M.P.) [MIN/466329/2024] (B-2)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	548/1,554 & 557 (सरकारी -नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्थल	Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 4001 दिनांक 31/7/2014 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 09/02/2017 के द्वारा पत्थर-16632 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) 10,769 cum/annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti) 10,769 cum/annum
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 100 मीटर पर आबादी स्थित है एवं 80 मीटर पर तालाब हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जलोदखेता जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू 2013 दिनांक 25/4/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा-आबादी लगभग 118 मी. पर इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 82 मी. का सेटबैक गैर खनन क्षेत्र में छोड़ा गया है। पूर्व दिशा में खदान के साईट आफिस 41 मी. पश्चिम दिशा-पक्की रोड लगभग 170 मी. पर इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 30 मी. का सेटबैक गैर खनन क्षेत्र में छोड़ा गया है। खदान क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में स्ट्रेक्चर एवं शेड्स है। किसी तरह का आवास नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है ।
--------	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेक की 752वीं बैठक में दिनांक 16/05/2024 को निम्न जानकारी चाही गई थी ।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Krishna Khokar, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा पत्र क्रमांक 981 दिनांक 15/04/2024 के माध्यम से खदान क्षेत्र के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत अतिरिक्त अक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये गये हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अक्षांश/देशांश के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	40 प्रतिशत पाई गई
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	30 पौधे लगाए गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के 200 मी. के अन्दर कुछ रहवासी मकान एवं शेड्स दिखाई दे रहे हैं, परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि SE एवं W डायरेक्शन में ढाँचे हैं किसी तरह का आवास नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस संबंध में संबंधित ग्राम-पंचायत से खदान क्षेत्र के 200 मी. के अन्दर स्थित कुछ रहवासी मकान एवं शेड्सके बारे में जानकारी प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

3. Case No. P2/837/24 Ms. PRABHA KALWA, 07, Owner, Yashwant Marg, Mahidpur, Dist.-Ujjain(MP). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 0.750 ha. (Stone (Gitti) – 3500 m3/Year) (Khasra No. 571/1), Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, Dist. Neemuch (Madhya Pradesh) [MIN/468662/2024] (B-2)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	PRABHA KALWA, 07, Owner, Yashwant Marg, Mahidpur, Dist.-Ujjain(MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	571/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.750 hectare.
स्थल	Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, Dist. Neemuch (Madhya Pradesh)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र दिनांक 16/03/2017 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार पेज नं. 14 अनुसार खनन कार्य में	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 2022 दिनांक 17/10/2016 के द्वारा पत्थर-3500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 3500 m ³ /Year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti) – 3500 m ³ /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10493 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-..... श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10493 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10493 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बंजारी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 30/5/2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- पक्का रोड 118 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के समीप से एक हालेज रोड निकल रहा है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समारोह निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेक की 756वीं बैठक में दिनांक 22/05/2024 को निम्न जानकारी चाही गई थी ।

- इस प्रकरण में को समिति ने परीक्षणकेदौरानपायाप्रस्तुतीकरणकेदौरानपरियोजनाप्रस्तावकनेबतायाकि खदान निजी भूमि पर आवंटित है जबकि माईनिंग प्लान मेंबतायागयाहैकि खदान शासकीयभूमिपर आवंटित है। अतः समिति ने परियोजनाप्रस्तावकको निर्देश दिये कि खनिजअधिकारीसेप्रमाणितकरतथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुतकरें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Ms. PRABHA KALWA, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकारकार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा उज्जैन क्रमांक/639/2016 -17 उज्जैन दिनांक16/03/2017 सैद्धांतिक सहमति प्रस्तुत की गई जिसमें निजी भूमि काउल्लेख किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विि ष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitti) – 3500 m³/Year.
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	10,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	70,000	10,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी प्वाइंट आदि कालंबाई) विकास चौड़ाई (Rs. 900 मी के साथ /120 मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	1,08,000	50,000
3.	वृक्षारोपण	1,59,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों 40 वर्ष के लिए /,000	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलर श्रमिक @ रु10 ./,000 कूलर .और रु (वर्ष रखरखाव के लिए /2000	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष) में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु(-	10,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 (खदान के प्रवेश द्वारपर डिस्प्ले बोर्ड)@ (/2000आदि	55,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	5,000
15.	खदान के परिधि में 400 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,00,000	20,000
16.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 530 मीटर Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	36,000	10,000
17.	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 भाग कापुनःभरण किया जायेगा लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 128 मीटर	76,800	-
18.	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिएनिकट ग्रामबंजारीमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X120	36,000	-
19.	विन्ड ब्रेकिंग वाल (100मीटर) लगाई जाएगी)@ रु.1000(मीटर/	1,00,000	10,000
20.	खदान क्षेत्रमें क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	1,50,000	50,000
	कुल योग	11,90,300	3,27,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्रामबंजारीके शासकीय प्राथमिकविद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,20,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनएवंपूर्व दिशा मेंकृषि क्षेत्र के कारणमी 25के सेड बैंक के साथमेंतीन लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)120 मी (फ़ीट की उचाई वाले 4 के दोनों ओर पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	120
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	380

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

- 4. Case No. P2/920/24 Shri Ravindra Chauhan, R/o-Musahib Mohalla Khaniyadhana District- Shivpuri, (M.P.) – 473990, Prior Environment Clearance for Khadela Flagstone Quarry with a Production capacity of 4,772 Cubic Meters / Year**

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

Flagstone, having a lease area of 4.00 Ha. at Khasr No. – 39, 43, 45, Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District –Shivpuri (M.P.). B2. (DEIAA) [MIN/471238/2024]

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति कए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ravindra Chauhan, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ravindra Chauhan, R/o-Musahib Mohalla Khaniyadhana District-Shivpuri, (M.P.) – 473990, Prior Environment Clearance for Khadela Flagstone Quarry with a Production capacity of 4,772 Cubic Meters / Year Flagstone, having a lease area of 4.00 Ha. at Khasr No. – 39, 43, 45, Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District -Shivpuri(M.P.). B2. (DEIAA) SIA/MP/MIN/471238/2024.
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—39, 43, 45, एरिया— 4.00ha., निजी भूमि (सहमति प्राप्त) भू-स्वामी श्री अच्छेलाल पुत्र श्री होतीलाल आदिवासी
परियोजना स्थल	Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District -Shivpuri(M.P.).
Description of Project	It is a Flagstone quarry with a production capacity of 4,772 cubic meter per year flagstone having a lease area of 4.00 hectares , previously EC was issued by DEIAA Shivpuri at Khasra No. 39, 43, 45, Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District -Shivpuri(M.P.). Now we are applying for fresh EC/Reappraisal in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र०. 4666 दिनांक 18 / 10 / 2019.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
जल / वायु सम्मति	Date of consent issued - 30/12/2021, Valid up to 24-01-2025.
Intimation ID	16611/18/432/2018/402713.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Not Applicable.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC issued DEIAA Shivpuri vide letter no. 2168 dated 28/09 /2018. Flagstone – 4,772 Cubic meters per year-
उत्पादन क्षमता	• Flagstone – 4,772 Cubic meters per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र 1271 दिनांक 26 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अन्य खदानों का विवरण।	में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र 1271 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र 1172 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –गढोईया, जिला –शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 01 दिनांक 23/11/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– दक्षिण दिशा में 435 मीटर पर एक पक्का रोड परिलक्षित हो रहा है पूर्व दिशा– पूर्व दिशा में 370 मीटर पर घर परिलक्षित हो रहे हैं
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 20 के सरल क्रमांक – 08 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि इस प्रकरण को पूर्व में डिया से ईसी प्राप्त हुई थी (EC issued DEIAA Shivpuri vide letter no. 2168 dated 28/09/2018. Flagstone – 4,772 Cubic meters per year-) उनके द्वारा आवेदन फ़ेश प्रकरण के रूप में आवेदित किया है। अतः यह प्रकरण पुर्न मूल्यांकन का नहीं है अपितु फ़ेश है।

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रीजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28-09-2018को डिया शिवपुरी द्वारा जारी की गयी थी जो की दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आरही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके एप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे ।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया ।

5. Case No. P2/924/24 Shri Ganesh Dhakad, R/o-Village Khairai, Tehsil- kolaras, Disterict-Shivpuri, M.P, - 473770, Prior Environment Clearance for Atalpur Stone Quarry with a Production Capacity of Stone (Gitti,) – 14,112 Cu.mt/year having a lease area of 2.0 hectare, at Khasra No. - 746/11, Village Atalpur, Tehsil Badarwas, District Shivpuri (M.P.).B2 Case [MIN/467683/2024]

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश धाकड़ आत्मज श्री कल्याण सिंह धाकड़ ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गणेश धाकड़ आत्मज श्री कल्याण सिंह धाकड़ निवासी ग्राम खेराई तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 746/11 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village-Atalpur, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक-14809-815/उत्खनिपट्टा/गुप-11/न.क्र. 307/2016 दिनांक 19/07/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1059/खनिज/डिया/ 7539/17 दिनांक25/10/2017 के द्वारा पत्थर-.14112 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-14112 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 14112घनमीटर/वर्षहै।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 114/3-6/खनिल/18/16/2023 दिनांक 29.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 114/3-6/खनिल/18/16/2023 दिनांक 29.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 114/3-6/खनिल/18/16/2023 दिनांक 29.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अटलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-08/ दिनांक 14.04.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- 25 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नाला परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया कि उक्त नाले से 50 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित है। उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर कच्चा बांधा स्थित है 294 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नाला।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	खनन की वर्तमान गहरायी बहुत कम है ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 30 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को वितरित किये गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता -पत्थर-14112 घनमीटर/वर्ष
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 6.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.54 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2.	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3.	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 200 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,00,000	10,000
4.	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2400 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~618m periphery of Mine lease boundary (600 nos.)	90,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Village Temple @ Rs 150/tree (as boundary wall is present there) - 1st year- 1650 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 82,500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.343 cubic meter soil use for per tree. So 257.25 Cubic meter soil needed for no. of 750 trees	25,725	2,000
6	Total Wire Fencing = (~618 m long) - {30% completed=185 m} (70% Remaining to be installed = 433 m @200 Rs./m)	86,600	10,000
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	30,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	15,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
Solid Waste Management			
14	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pits and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon mitigation.	20,000	
Total		6,41,325	1,54,000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अटलपुर के शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 6 माह के भीतर अटलपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जावेगी ।	50,000/-
कुल	50,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	600
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि ।	100
3	ग्राम अटलपुर के मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि ।	1650

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

6. Case No. P2/925/24 Shri ARVIND YADAV, Owner, Kishoreganj ward 20, pancham singh chauraha mohalla panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Flag Stone-Mine in an area of 370 , 375/1, 381 ha. (1890 cum per annum) (Khasra No. 1.19) Village- Jhanjhar, Tehsil- Pawai, District- Panna, (M.P.). [MIN/471294/2024 DEIAA-Re-appraisal] SIA/MP/MIN/471294/2024 (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीअरविन्द सिंह यादव, पिता-स्व. श्री पंचम सिंह यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीकृष्णचन्द्र पांडा (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1- परियोजना विवरण-:

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीअरविन्द सिंह यादव , पिता -स्व .श्री पंचम सिंह यादव , -निवासी किशोरगंज, मोहल्ला कचहरी रोड, जिला- पन्ना .म)प्र(.	
खसरा नं(निजी/सरकारी) क्षेत्रफल /.	निजी370 -, 1/375, 381	1. 19हेक्टेयर
स्थल	गांव-झाँझर, तहसील- पवाई-जिला , पन्ना -राज्य , मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर खनिज) शाखा जिला (पन्ना के पत्र क्रमांक 663/11/M/3/6/2016, पन्ना दिनांक 10/03/2016के द्वारा स्वीकृत ।	
लीज का नवीनीकरण (तो हो यदि)	लागू नहीं है।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष -2016, क्षमता -9450 घनमीटर (पांच वर्षोंमें कुल मात्रा), उत्पादित मात्रा- 6468 घनमीटर (पांच वर्षों में कुल मात्रा)	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	वर्ष -2020, क्षमता -9384 घनमीटर (पांच वर्षोंमें कुल मात्रा), उत्पादित मात्रा- 1, 890 घनमीटर/प्रतिवर्ष(पांच वर्षोंमेंअधिकतम मात्रा)	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान अनुसार डीएसआर/स्थिति की मिलान कोर्डिनेट्स	आगामीडीएसआर मेंमाइन प्लान के कोर्डिनेट्स को जोड़ लिया जावेगा
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंगकरें। उल्लेख का ब्रेकर रॉक/	ब्लास्टिंगप्रस्तावित नहींहै।
प्रकरण की स्थिति	डियाप्रकरणबी2-
डिया ई(हो लागू यदि) विवरण का . सी.	डिया पन्ना के पत्र /97DEIAA/ दिनांक पन्ना 2016 2016/06/26के द्वारा फर्शीपत्थर-1890 घनमीटर हेतु वर्ष/ है। प्राप्त अनापत्ति पर्यावरणीय
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 1890 घनमीटर हेतु वर्ष/ अनुसार योजना खनन् अनुमोदित और है गया किया आवेदन 1890 घनमीटरहै। वर्ष/
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर जिला (शाखा खनिज)पन्ना के एकल प्रमाण/क्रमांक पत्र-827/11/एम/3/6/2023 पन्ना दिनांक 18/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालितस्वीकृत/ नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.90 हेहे होता ., अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर जिला (शाखा खनिज)पन्ना के एकल प्रमाणपत्र-क्रमांक/827/11/एम/3/6/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क सेंसेटिव ईको/अभ्यारण्य/ एवं है नहीं स्थित क्षेत्र विविधता जैव जोन250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर जिला (शाखा खनिज)पन्ना के एकल प्रमाणपत्र-क्रमांक/827/11/एम/3/6/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन /राजमार्ग राष्ट्रीय/घाट षमषान/भवन सार्वजनिक/स्टेशन रेडियो : जैसे क्षेत्रों संवेदनशील, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय स्टॉप/बांध /तालाब /नदी/ । है नहीं नाला/रास्ता पक्का/कच्चा ग्रामीण/नहर/डैम
ग्राम सभाअनापत्ति की पंचायत ग्राम /	ग्राम पंचायत झांझर जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 06/01/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम ASEP के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
क्रेशर की स्थिति क्षेत्र लीज या बाहर के लीज) (अन्दर के	क्रेशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ों की संख्या -निरंक
प्रस्तावितस्थलकीगूगलइमेजअनुसारवर्तमानस्थिति	उत्तर दिशा- खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर बंजरभूमि परिलाक्षित हो रहा है। दक्षिण दिशा- खदान के दक्षिण दिशा में 265 मीटर परसड़क एवं मीटर 310 परमानवबसावटपरीलक्षित हो रही है। पूर्व दिशा-खदान के पूर्व दिशा में मीटर 100मेंबंजर भूमि परिलक्षित हो रही है एवंलगभगहै नदी केन पर किलोमीटर 5
प्रस्तावितखदानकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 39 के सरल क्रमांक 12 पर अंकित है

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 1890 घनमीटर वर्ष/।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1(a)	Water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 4.1 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker	0	1,23,000
1(b)	Cost of Water tanker (3000 -liter capacity) =40,000/- Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 0.72 KLD @ 3 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	40,000	43,200
1(c)	Discharge of waste water 300 days for 0.576 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	69,120
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 610 m, Width 4.0 m) @ 300Rs. /Meter.	1,83,000	18,300
3	Monitoring (Air, Water, Soil & Noise)	Nil	40,000
4	Grazing Land	20,000	10,000
<u>Plantation Scheme</u>			
Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of Grazing land as far as possible.			
A	In Barrier Zone = 200 No. of plant@30/-per plant.	6,000	2,400
C	1200 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs 60 /tree.	72,000	NIL
<u>Labour Welfare</u>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
8	Occupational health Survey 17 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 17	Nil	17,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 16 labor @1200 Rs.	19,200	1,920
10	First Aid Kits, Number of kits 3	5,000	1000
11	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
<u>Carbon Sequestration</u>			
12	Distribution of LED bulb to people of village Jhanjhar	10,000	-
<u>Solid Waste Management</u>			
13a.	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
13b.	Transport of Dry Waste	5,000	
14	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP cost		4,96,700	3,89,940

CER Table

CER		
Sn. No.	Particular	Amount
1	अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, झांझर के पालक	15,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	
Total		15,000
सी. ई. आर. के मद में प्रस्तावित की गयी धनराशि, पालक शिक्षक संघमें भू-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा करा दी जाएगी एवं इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जाएगी।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण: -

लगाए एवं बांटे जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 1400			
क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोनमें	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	200
3	ग्राम झांझरके ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	1200
कुल पौधों की संख्या			1400
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव) । ✓ वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जायेगा एवं शेष वर्षों में रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी । ✓ लीज बाउंड्री (688 मी.) के चारों ओर नेट वायर फेंसिंग की जाएगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No. P2/926/24 JULAL VASAVE, Lessee, R/o- Devdhar, Tehsil- Pansemal, District- Barwani (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (9700 cum per annum) (Khasra No. 52/1/1/K) Village MOYDA Tehsil Pansemal District Barwani (M.P.). [MIN/471340/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B-2)

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जुलाल पिता नाथ्या वासवै ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जुलाल पिता नाथ्या वासवै निवासी देवधर, तहसील पानसेमल जिला बडवानी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 52/1/1/K (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village-Moyada, Tehsil- Pansemal, District- Barwani (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर खनिज (शाखा) जिला बडवानी मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक-196/खनिज/2017 दिनांक 04/03/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 43/डिया/16 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर-9,700 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 9,700 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2381/खनिल/2023 दिनांक 13.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2381/खनिल/2023 दिनांक 13.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2381/खनिल/2023 दिनांक 13.10.2023 अनुसार 500 मीटर की	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नहीं है । नाला -150 मीटर दूर उत्तर की ओर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मोयदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-07/ दिनांक 21.07.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Tree felling proposed .
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – उत्तर दिशा में टीन शेड स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया कि उक्त शेड खदान का सामान आदि रखने के लिए बनाया गया है । पश्चिम दिशा – 32 मीटर पर साइट ऑफिस स्थित है । दक्षिण दिशा – उत्खनिपट्टे के दक्षिण में 30 मीटर पर एक शेड स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त शेड किसान द्वारा खेती सम्बंधित सामान रखने हेतु बनाया गया है जिसमें कोई रहवास नहीं करता । उत्खनिपट्टे के दक्षिण पश्चिम दिशा में 25 मीटर की दूरी पर एक कच्ची रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त कच्चे रास्ते से 50 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता -फर्शी पत्थर-पत्थर-9,700 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
8. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि ₹. 9.66 लाख एवं रिकरिंग राशि ₹.2.45 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 150 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	45,000	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2400 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~564m periphery of Mine lease boundary (550 nos.)	82,500	40,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 1st year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 1700 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 85,000	
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 80.6 Cubic meter soil needed for no. of 650 trees	8,060	-
	Development of the grassland at and area of 2.0 ha at same khasra 52/1 and maintenance of it in consultation with the village gram panchayat	20000	5000
6	Total Wire Fencing = (~564m long) - {30% completed= 175 m} (70% Remaining to be installed = 403 m @500 Rs./m)	169,000	25,000
	Wind breaking wall : Total 150 m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet) 150/2= 75 sheets	75,000	15,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	20,000	8,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
Solid Waste Management			
14	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pits and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	40,000	
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	20,000	
17	Expenditure for crusher pollution control equipment's	200,000	50,000
	Total	9,66,060	2,45,500

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मोयदाके शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 6 माह के भीतर मोयदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जावेगी ।	70,000/-
कुल	70,000/-

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	550
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि ।	100
3	ग्राम मोयदा के शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि ।	1700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/930/24 Shri BANE THAKUR, Lessee, R/o- 74 Maa Laxmi Nanadan Village Panda Tehsil- Mohw, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone – 21,825 m³/Year) (Khasra No. 442) Village Anandpur Dungariya , Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.). [MIN/468766/2024 Re-appraisal DEIAA] 468766/2024 (B-2)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री बन्ने ठाकुर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	BANE THAKUR, Lessee, R/o- 74 Maa Laxmi Nanadan Village Panda Tehsil- Mohw, District- Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	442 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Anandpur Dungariya , Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2123 दिनांक 28/12/2016 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 66 दिनांक 25/7/2016 के द्वारा पत्थर-21825 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	Re-appraisal DEIAA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 21,825 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 21,825 m ³ /Year	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2296 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2296 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2296 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आनंदपुर डुंगरिया जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20/10/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-92 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पश्चिम दिशा में लगभग 11 मी. चौड़ा एवं 84 मी. लम्बा लीज क्षेत्र के बाहर खुदा हुआ दिख रहा है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें एवं उनसे इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

9. Case No. P2/932/24 SANJAY JAIN, Lessee, R/o Station Road Ganj Basoda, District-Vidisha, M.P. Prior Environment Clearance for Flag Stone in an area of 1.90 ha. (Flag Stone – 1800 m³/Year) (Khasra No. 153) Village Lehadra, Tehsil Basoda, District Vidisha (M.P.) [MIN/471617/2024 Re-appraisal DEIAA] (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

10. Case No. P2/928/24 Shri SANTKUMAR CHOUDHARY, Owner, R/o-Bus Stand Keolari Tehsil-Keolari, District-Seoni, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (97,968 cum per annum) (Khasra No. 329/2, 355/1, 355/4) Village Bichhua Ryt, Tehsil- Keolari & District Seoni (M.P.). [MIN/471661/2024 DEIAA-Re-appraisal] (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

11. Case No. P2/949/24 Shri Sanchit Sharma, Lessee, ward no.- 02, soni colony jain mandir ke pass, Ashoknagar, Ashoknagar, Guna, (M.P.) - 473331, Prior Environment Clearance for Bansara Stone Quarry an Area - 1.80 ha., Khasra No. - 36, at Village- Bansara, Tehsil- Shadora, District- Ashoknagar(M.P.). with Stone (Gitti) - 10,800 M3/Year, ToR (DEIAA to SEIAA). [MIN/471777/2024]

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

12. Case No. P2/950/24 Shri Raju Rajput S/o Shri Sher Singh Rajput, Villjaroli Dhubayai - Post - Damdama - Thana - Bahadurpur, Jaroli Dhubayai Ashoknagar, Mungaoli, (M.P.) - 473443, Prior Environment Clearance for Mahuakhadi, Quarry an Area - 1.881 ha., Khasra No. - 77/1, at Village- Mahuakhadi, Tehsil- Mungawali, District- Ashoknagar (M.P.). with Stone (Gitti) - 6,002 M3/Year, B2 Case. (Form-2). [MIN/471776/2024]

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजूसिंह राजपूत पुत्र श्री शेरसिंह राजपूत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा.लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Raju Singh Rajput, S/o Shri Shersingh Rajput R/o- Village – Jaroli Dhubyai, Post – Damdama, Tehsil – Mungawali, District- Ashoknagar(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	77 / 1 (शासकीय – भूमि)	1.881 hectare.
स्थल	Village- Mahuakhadi, Tehsil- Mungawali, District- Ashoknagar (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक 92-93 दिनांक 17 / 02 / 2017 द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 05 / 10 / 2023, क्षमता पत्थर-6,002 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम-महुआखाडी, दिनांक-07 / 03 / 2024,	
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता-पत्थर-6,002, घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 702 दिनांक 20 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.881 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 702 दिनांक 20 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 702 दिनांक 20/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता / कच्चा रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महुआखाडी जिला अशोकनगरठहराव प्रस्ताव क्र. 12 दिनांक 30/11/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – मानव रहबासी क्षेत्र लगभग 260 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं बरसाती नाला लगभग 380 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पूर्व दिशा– मानव रहबासी क्षेत्र लगभग 270 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एवं दक्षिण पूर्व में पक्का रोड लगभग 334 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	एवं कृषि क्षेत्र से पूर्व और दक्षिण दिशा में 25-25 मीटर का सेटबैक दिया गया हैं जिससे माईनिंग एरिया 1.2469 हैक्टेयर एवं नो माईनिंग एरिया 0.6341 हैक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	05/05/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 43 दिनांक 26/05/2017 के द्वारा पत्थर-6,002 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर 20 पेड़ लगे हुए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 20% पायी गई।
अनुमोदित मार्इनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	पिट खनन योजना के अनुसार पाए गए लेकिन 7.5 मीटर में 10% पूर्व में खदान क्षेत्र के पूर्वी भाग में एक गड्ढा दिखई दे रहा है जो कि 7.5 मीटर में बैरियर जोन के अंदर एवं बैरियर जोन से बाहर भी है यह गड्ढा ग्रमिण सड़क निर्माण कराते समय ग्राम पंचायत द्वारा खोदा गया है जिसकी पूर्णभरण का प्रस्ताव प्ररियोजना प्रस्तावक द्वारा ई एम पी बजट में शामिल कराया गया है जिसे पूर्णभरण कर पोधारोपण किया जाएगा।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग 20. पेड़ लगाये गये एवं ..500.... पेड़ बांटे गये। जिसमें से बैरियर जोन में पर 20 पेड़ लगे हुए हैं।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम में वृक्षा रोपण सड़क निर्माण एवं पार्क में वृक्षा रोपण कराया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान-6,002 घनमीटर /वर्ष,
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मार्इन आधारित केशर प्लान्ट एवं हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट एवं में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैंचेस/बैरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.86 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.26 लाख प्रति वर्ष

11. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	35,010	-
1(b)	Water requirement- 0.778 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (306 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	600 plants × 150 Rs=90,000/-	2,35,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1400 plants × 50 Rs=70,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	300 plants × 250 Rs=75,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 578 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5	Wire fence (287 m) @200 rupees/meter. (50% fencing is complete) budget allocation only for rest 50%	57400	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 8 Labors - 8 × 500 × 2)	-	8,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 8 workers - 8 × 1500)	12,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
18	For Recalvation of 7.5 m Boundary pit	75000	
	TOTAL	9,86,595/-	1,26,000/-

12. CER Table

सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 60,000 की राशि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

13. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
-----	----------------------------------	---------------------	--------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

			(संख्या में)
1	बैरियर जोन में एवं पुर्न भरण क्षेत्र	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	नो माईनिंग जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
योग			2300
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P2/911/24 Shri LOKESHWAR AJIT, Owner, Sonpuri, sonpuri, Post Kiranpur, Tehsil Kirnapur, Sonpuri Balaghat, Madhya Pradesh – 481115. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. (2,998 cum per annum) (Khasra No. 516 Part) Village- Akola, Tehsil- Kirnapur, District- Balaghat (M.P.). (TOR) [MIN/466256/2024 DEIAA-Re-appraisal] TOR

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

14. Case No. P2/921/24 Shri ATISHAY JAIN, Owner, Mukam Post Bagraji, Tehsil- Kundam, Dist- Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.88 ha. (Stone- 27568 cum per annum & Murrum-5215 cum per annum) (Khasra No. 590, 596) Village: Karanpura Tehsil: Kundam District: Jabalpur (M.P.). [MIN/467735/2024 DEIAA-New] (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri ATISHAY JAIN** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ATISHAY JAIN, Owner, Mukam Post Bagraji, Tehsil- Kundam, Dist- Jabalpur (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	590, 596(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है) 3.88 hectare.
स्थल	Village: Karanpura Tehsil: Kundam District: Jabalpur (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 12/09/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA-New
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 156 दिनांक 19/01/18 के द्वारा पत्थर-28,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-2,500घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-27568 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-5215घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-27568 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-5215घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1024 दिनांक 16/10/23 अनुसार 395 एवं 450 मीटर की दूरी शासकीय नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है । गूगल अर्थ मैप अनुसार 195 मीटर पर ग्रामीण रास्ता एवं 480 मीटर पर ग्रामीण तालाब प्रतीत होती है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बडुआ जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/04/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक-30 के सरल क्रमांक-33 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये –

- प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ एवं फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाये।
- जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

15. Case No. P2/951/24 Madhu Agarwal, Village: Bijpuri, Tehsil: Kotma, District: Anuppur (M.P) - 484224, Prior Environment Clearance for Dongariya Khurd Mine, Gitty/ Boulder – 15,390 Cubic Meter per year. Total Lease Area - 2.124 Ha. Village - Dongariya, Tehsil - Kotma, District - Anuppur (M.P.). DEIAA to SEIAA Case. [MIN/468502/2024]

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक .03/06/24 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अग्रवाल स्टोन माईनस, प्रो. श्रीमती मधु अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स अग्रवाल स्टोन माईनिंग, प्रो. श्रीमती मधु अग्रवाल ग्राम एवं पोस्ट बिजुरी, कोतमा, तहसील-कोटमा, जिला-अनूपपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	57 (शासकीय भूमि नॉन फोरेस्ट)	2.124 हेक्टर
स्थल	Village – Dongariya Khurd, Tehsil – Kotma, District- Anuppur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्रमांक 19/खनिज/2016/1296 दिनांक 18/07/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिंग प्लान प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	क्यूरी रिप्लाइ (डिया से सिया) संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिंग प्लान प्रस्तावित है	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15390 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15390 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.619 है, इस प्रकार कुल रकबा 3.743 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोगरियाकंला जिला अनूपपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 10/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर	Tree to be planted - 2400	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्की सड़क -13 मी. 90 सेडबैक क्षेत्र छोड़ा गया है
	दक्षिण दिशा— खुला क्षेत्र है, 45 मी पर खदान निर्मित पोन्ड स्थित है
	पूर्व दिशा— खुला क्षेत्र है, 65 मी पर खदान निर्मित पोन्ड स्थित है ।
	पश्चिम दिशा— खुला क्षेत्र है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण अनुपपूर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 13/05/2024 अनुमोदित नॉन ब्लास्टिंग का संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान के पेज नं.-02 में किया गया है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि उत्तर दिशा में एक पक्की सड़क -13 मी. 90 सेडबैक क्षेत्र छोड़ा गया है अतः खनन हेतु 1.2 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन इस संबंध में समिति ने पाया कि बेरियर जोन खुदा हुआ है एवं बैंचेस का निर्माण नहीं हुआ है। समिति ने यह भी पाया कि लीज क्षेत्र खुदा हुआ है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें एवं उनसे इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

16. Case No. P2/963/24 Shri THALLU CHOUDHARY, Owner, R/o-Bus Stand Kevlari, Tehsil- Kevlari, District- Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.64 ha. (13,680 cum per annum) (Khasra No. 354) Village Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District Seoni, (M.P.). DEIAA- New (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

17. Case No. P2/935/24 ANJU CHOUDHARY, Owner, R/o-Near Bus Stand Keolari, Tehsil- Keolari, District-Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.10 ha. (45,534 cum per annum) (Khasra No. 175, 182, 184 & 181, 81) Village- Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District- Seoni (M.P.). [MIN/471847/2024 DEIAA- Re-appraisal] SIA/MP/MIN/471847/2024 DEIAA- Re-appraisal (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

18. Case No. P2/953/24 Shri Nitin Barsainya, Director, M/s GOUR ROAD TAR COAT PRIVATE LIMITED, Plot No-2358/6, Sharda Chouk, Nagpur Road, Near Takshila Engineering College, Jabalpur, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 14.8 ha. (14,472 cum per annum) (Khasra No. 68,76 Part) Village- Dhadhra, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.) [MIN/468149/2024 DEIAA- New] SIA/MP/MIN/468149/2024 DEIAA- New (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

19. Case No. P2/927/24 Shri Dharm Veer Singh Gour, Partner, M/s gour bandhu construction company, Infront of Police Station Jatara, District -, Tikamgarh, Madhya Pradesh 472221. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (7000 cum per annum) (Khasra No. 851/9/1 (P)) Village- Pathara, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh, (M.P.). [MIN/471003/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dharm Veer Singh Gour, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, AGS Environmental Services Pvt. Ltd., delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dharm Veer Singh Gour, Partner, M/s gour bandhu construction company, Infront of Police Station Jatara, District -, Tikamgarh, Madhya Pradesh 472221.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	851/9/1 (P) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Pathara, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh, (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 68 दिनांक 09/03/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लॉस्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA-Re-appraisal	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 25/08/17 के द्वारा Granite Stone-7000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite Stone-7000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite Stone-7000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत हृदयनगर जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 16/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनापत्ति	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—
	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा—
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन कर प्रमाणित फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन ।
- लीज क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी एवं की गई कार्यवाही प्रस्तुत करें ।

20. Case No. P2/606/24 Shri Nirmal Chand Jain, Partner, M/s MAHAVIR MINERALS, Behind Mahaveer Lake view Society, Bandha Talab, Janpara Durg (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.83 ha. (Dolomite- 34399 TPA & Overburden- 6011 cum per annum) (Khasra No. 2.83) Village – Bhatiya Tola, Tehsil – Nainpur, Mandla District (MP). SIA/MP/MIN/467829/2024 DEIAA-New (TOR)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

21. Case No P2/934/24 Shri DAULAT RAJPUT, Owner, 700, Ward no.- 16, basahari, basahari, Basahari, Sagar, Madhya Pradesh – 470118. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.5 ha. (8933 cum per annum) (Khasra No. 1096/2) Village BASARI Tehsil Khurai District Sagar (M.P.). [MIN/471483/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B2)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

22. Case No. P2/912/24 Ms. SUDHA GOUND, Owner (Project Proponent), Ward No. 01, Badamalhera, District Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (28,500 cum per annum) (Khasra No. 320/1 (P)) Village -Bhanguwan, Tehsil - Badamalhera, District - Chhatarpur, (M.P.) [MIN/469575/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Ms. SUDHA GOUND, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मेसर्स AGS Environmental Services Pvt. Ltd. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SUDHA GOUND, Owner (Project Proponent), Ward No. 01, Badamalhera, District Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	320/1 (P)(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village -Bhanguwan, Tehsil - Badamalhera, District - Chhatarpur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1511 दिनांक 21/01/21 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 24/09/16 के द्वारा पत्थर-28,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-28,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-28,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 09/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 09/06/23 अनुसार 100 से 150 मीटर की दूरी पर कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं, जिनका उपयोग केवल भूसा लकड़ी आदि रखने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छाईकुआ जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 01/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पश्चिम दिशा में लगभग 40 मी. एवं 60 मी. की दूरी पर क्रमशः दक्षिण एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में आबादी है एवं लीज के समीप एक कच्चा रोड भी है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित सभी संवेदनशील घटकों जैसे आबादी, कच्चा रोड आदि को दृष्टिगत रखते हुये, खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

23. Case No. P2/913/24 Shri DEVENDRA TRIPATHI, project proponent, House no. - B27, pilibhit road north city extension , Bareilly, Izzat Nagar, Uttar Pradesh , 243122. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.528 ha. (14, 994 cum

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

per annum) (Khasra No. 47/4/2) Village Ghuman Tehsil Jawa District Rewa (M.P.).
[MIN/470530/2024 DEIAA- Re-appraisal] (B-2)

प्रस्तावित खदान **बी-2** श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **03/06/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री देवेन्द्रमणि त्रिपाठी** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री देवेन्द्रमणि त्रिपाठी आत्मज श्री विश्वपति त्रिपाठी, मकान नं. बी-27, पीलीभीत रोड नार्थ सिटी एक्सटेंशन बरेली, इज्जत नगर, उत्तरप्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	47/4/2 (निजी भूमि)	4.528 हेक्टर
स्थल	Village – Ghuman Kala, Tehsil – Java, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2752/खनिज/2017 दिनांक 25/09/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	NEW	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14997 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14997घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.528 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4074 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घूमन जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 15/08/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 00 Additional tree to be planted - 5400
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खुला क्षेत्र है
	दक्षिण दिशा— 365 मी. पर बरसाती नहर
	पूर्व दिशा— 306 मी पर 3 मकान एवं 203 मी पर बरसाती नाला
	पश्चिम दिशा— 443 मी पर 2 मकान एवं 270 मी पर बरसाती नाला
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-89 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन कर प्रमाणित फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन ।

24. Case No. P2/589/24 Shri VISHVAPAL THAKUR, Lessee, R/o- Sondiya, Tehsil-Multai, District-Betul, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (3990 cum per annum) (Khasra No. 141/1 & 141/3) Village Sondiya, Tehsil Multai, District Betul (M.P.). [MIN/464286/2024] (DEIAA-Re-appraisal) (B-2)

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री विश्वपाल सिंह ठाकुर श्री नत्थु सिंह ठाकुर पता— सोडिया, तहसील मुलताई जिला बैतूल(म.प्र.)

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी भूमि सहमति पर खसरा नं. 141/1 एवं 141/3	1.00 Ha.
स्थल	Village-Sondiya, Tehsil- Multai , District- Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालन भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल म0प्र0 के पत्र क्रमांक. 4446-49/उत्खनिपट्टा/गुप-II/न0क्र0 166/2015, भोपाल दिनांक 22/03/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 2022 ,क्षमता-3990 घनमीटर /वर्ष ,एवं डिआ स्वीकृत के अनुसार -3990 घनमीटर /वर्ष	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 72/डिया/2016 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा पत्थर-3990 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 3990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 3990 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1701/ख0लि0/2023 दिनांक 12.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 0 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 01 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1701/ख0लि0/2023 दिनांक 12.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1701/ख0लि0/2023 दिनांक 12.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 65.35 मीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे स्थित है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मयावाड़ी जिला बैतूल ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 64 दिनांक 14.04.2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	कोई पेड़ नहीं काटा जाना है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर पक्का रोड है।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के Re-appraisal का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वपाल सिंह ठाकुर ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यावहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

25. Case No. P2/02/2023 Shri KRISHAN SINGH, Project Proponent, Village-Neguda, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for HARRAHA (CRUSHER) STONE QUARRY in an area of 1.00 ha. (12471 cum per year) (Khasra No. 3/2/2), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) [455196] [DEIAA]B-2

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावित खदान **बी-2** श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **03.06.2024** को परियोजना प्रस्तावक **प्रो. श्री कृष्ण कुमार सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	प्रो, कृष्ण कुमार सिंह ग्राम नगुडा, तहसील-चुरहट, जिला-सीधी, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/2/2 (निजी - नॉन फारेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.000 हेक्टर
स्थल	Village – HARRAHA, Tehsil – MAUGANJ, District- REWA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2223/खनिज/2017 दिनांक 04/08/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिंग प्लान प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	क्यूरी रिप्लाय (डिया से सिया) संसोधित कर नया नॉन ब्लास्टिंग माईनिंग प्लान प्रस्तावित है	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 12471 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 12471 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 03.940 है, इस प्रकार रकबा 04.940 होता है । अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। साथ ही एक अन्य खदान 04.00 हे दिनांक 13.06.2022 को निरस्त (प्रतिसंहृत) किया गया है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरहाजिला अनुपपूर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 08/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 03 Additional tree to be planted - 30 Plantation to be planed - 1200
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 116 मी पर स्टॉप डेम है ।
	उत्तर-पूर्व दिशा— 118 मी पर 1 मकान है ।
	दक्षिण दिशा— 163 मी पर पक्की स्थित है ।
	दक्षिण-पूर्व दिशा — 96 मी पर 1 मकान स्थित है ।
	पूर्व दिशा— खुला क्षेत्र है ।
	पश्चिम दिशा— 277 मी पर 1 मकान स्थित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-136 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि उनके द्वारा संशोधित **नॉन ब्लास्टिंग का संशोधित माईनिंग प्लान क्षेत्रीय प्रमुख, डीजीएम, रीवा दिनांक 27/05/2024 के माध्यम से** अनुमोदित कराया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये –

- जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी एवं की गई कार्यवाही प्रस्तुत करें ।

**762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024**

26. Case No. P-2/79/2024 Shri Kishore Kumar Khare, Partner, M/s KHARE STONE AND TILES, Khirhani Phatak, District Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Flage Stone Mine in an area of 2.85 ha. (2|349 cum per annum) (Khasra No. 1259) Village- Dang, Tehsil- Rithi, Dist- Katni (M.P.). (MIN/457996/2024) (TOR)

प्रस्तुत प्रकरण टॉर का है। उपरोक्त प्रकरण में सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/2024 में टॉर की अनुशंसा की गई है। सिया के पत्र क्रमांक 399 दिनांक 09/05/2024 को टॉर जारी किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही करना प्रतीत नहीं होती।

27. Case No. P-2/511/24 Shri Sujit Mandloi, Partner, M/S SHRI NAGRAJ STONE CRUSHER AND SUPPLIERS, R/o- Village-Peppur, Tehsil-Gogawa, District-Khargone, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.30 ha. (8030 M3/Year) (Khasra No. 1), Village Lonara, Tehsil Bhagwanpura, District Khargone (M.P.). [MIN/ 460992/2024] B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 747 दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक नागराज स्टोन केशर भागीदार श्री सुजित सिंह मण्डलोई ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	नागराज स्टोन केशर भागीदार श्री सुजित सिंह मण्डलोई पता- ग्राम पेपपुर तहसील गोगावा जिला खरगोन (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारीभूमि खसरा नं. 1	1.30 Ha.
स्थल	ग्राम - लोनारा, तहसील - भगवानपुरा, जिला- खरगोन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक. 466/खनिज/18, दिनांक 02/07/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं	वर्ष-2022, क्षमता- स्टोन 8030-घनमीटर /वर्ष, एवं डिआ स्वीकृत के अनुसार -8030 घनमीटर /वर्ष	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

मात्रा।	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 128/डिया/2016 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा पत्थर-8030 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 8030 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 8030 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1474/ख ₀ लि ₀ /2023 दिनांक 19.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.30 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1474/ख ₀ लि ₀ /2023 दिनांक 19.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1474/ख ₀ लि ₀ /2023 दिनांक 19.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, एवं जलीय निकाय/कच्चा/पक्का रास्ता/नालास्थित नहीं है

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भगवानपुरा जिला खरगोन ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 16.08.2005 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> कोई पेड़ नहीं काटा जाना है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 70 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सड़क से 30 मीटर का सेटबैक छोड़कर संसोधित खनन योजना ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 747 दिनांक 02/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया की उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल न करते हुए रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल किया जावेगा ।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024को परियोजना प्रस्तावक नागराज स्टोन क्रेशर भागीदार श्री सुजित सिंह मण्डलोई ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल किया जावेगा ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यावहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

28. Case No. 10019/23 Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor, M/s Sisodiya Khanij Udhog, R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg Bhatta Mohalla Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 11.02 ha. (Limestone & Dolomite – 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA) (Khasra No. 243, 251, 253 & 247) Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni(M.P.). [MIN/464619/2024] EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 क्षमता वृद्धि श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया प्रो. मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग प्रो. कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया पता :सत्येन्द्र भवन, राम निवास मार्ग बट्टा मोहल्ला, तहसील एवं जिला कटनी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर – 243, 251, 253, 247 निजी	11.02 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम– भटगवां–सुनहरा, तहसील– मुड़वारा, जिला– कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 3-97/12/2000/2 दिनांक 16/10/2000 के द्वारा स्वीकृत।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत पत्रांक 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 द्वारा लीज अवधि को 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	No:173/EPCO-SEIAA/11 Date:08/06/2011
MoEF & CC से अभी प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन (Certified compliance)	18-B-15 /2011 (SEAC) Date:28/08/2023
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	उपांतरित अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार। बी-1
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 660.वीं बैठक दिनांक 14/07/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1092/SEIAA/2023 दिनांक 10-08-2023 के द्वारा 90397.50 घनमीटर/वर्ष चूना पत्थर 5,317.50 घनमीटर/वर्ष डोलोमाइट के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50 TPA & Dolomite-5317TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 30/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 28.46 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032/खनिज/2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032/खनिज/2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेढ़ी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 05 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 50
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा- एक कच्ची रोड निकल रही है जिसके संदर्भ में बताया गया कि यह हालेज रोड है जो कि निजी जमीन से खदानों के श्रमिकों के घरों के लिये निकलती है ।
	पश्चिम दिशा- प्राकृतिक नाला 23 मी. जिसके संदर्भ में 27 मी. का सेटबैक दिया गया है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/02/2023 को संपन्न हुई रोड की मरम्मत करवाई जाये गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17के सरल क्रमांक-05पर दर्ज है ।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्पादन क्षमता में विस्तार क्षमता **Limestone& Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA** हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 173 दिनांक 08/06/2011, प्रकरण क्रमांक 62/2008) की शर्तों का अनुपालन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाईट रिपोर्ट दिनांक 28/08/2023 का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी की गई ईसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1000 पौधों को प्रति हे. की दर से लगाये जाने थे एवं 05 कि.मी. रेडियस में वेस्टलैंड का विकास किया जाना था। जिसका की कम्पलाईन्स नहीं पाया गया। समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के कम्पलाईन्स के पालन के संबंध कर निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

1. कल्टीवेटेड लैंड के संबंध में जानकारी
2. ईसी की शर्तों के अनुसार प्लान्टेशन के संबंध में समिति द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
3. सी. एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत करें।

तदनुसार परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करे।

उपरोक्त जानकारी तदनुसार परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत की गयी .

प्रकरण को आज दिनांक 03/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया प्रो. मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार जानकारियां व साक्ष्य प्रस्तुत किये –

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

1. बिंदु क्र. 1 अनुसार कल्टीवेटेड लैंड के संबंध में चाहे गयी जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वेस्टलैंड का विकास किया जाना था जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर को बैंक ऑफ बड़ोदा चेक क्रमांक 426983 के माध्यम से रूपये 1,50,000/- की राशि उपलब्ध करवाई गयी जिससे की अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बनाया जा सके जिसका पावती पत्र क्र. क/ले.नि/ई.एफ.पी./2024-25 दिनांक 21/05/2024 प्रस्तुत किया गया ।

2. बिंदु क्र. 2 के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फारेस्ट नर्सरी सरसवाही रोपनी कटनी कार्यालय में कुल 11,020 पौधे की कुल राशी रूपये 1,54,289/- जमा की गई जिनकी खरीद रसीद प्रस्तुतीकरण में संलग्न की हैं, प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पौधे आगामी मानसून के समय आस पास कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोपित करवाए जावेंगे जिसके विवरण के तहत प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पिपरिया, ग्राम पंचायत मढ़ई, ग्राम पंचायत लखापतेरी में उपरोक्त वर्णित पौधों के वितरण, परिवाहन व रखरखाव हेतु प्रत्येक पंचायत को 4,000- 4,000 पौधे प्रदाय किये एवं परिवहन और शुरू के समय के संरक्षण के लिये व 20,000 - 20,000 रूपए के चेक प्रदान किये जिसकी प्रतियाँ प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गई, इसके अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा पूर्व में 975 पौधे खदान क्षेत्र में लगाये गए थे जिसकी रसीद संलग्न हैं व 1,000 पौधे ग्राम पंचायत में वितरित करे गए व लगाये गए जिसका प्रमाणीकरण पंचायत द्वारा किया गया जोकि की प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गई ।

3. बिंदु क्र. 3 अनुसार सी. एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य चाहे जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार कार्य किये व साक्ष्य और प्रमाणीकरण प्रस्तुत किये -

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोरोना काल के दौरान शासकीय अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर व ग्रामवासियों में मास्क, सेनेताईजर, व हैण्ड ग्लव्स का वितरण किया जिसकी राशी रूपये 1,09,000/- थी ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बहोरीबन्द में स्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु को प्रदत्त 50 बेंच - 50 टेबिल (फेब्रिकेशनकार्य के साथ) एवं शिक्षकों हेतु 12 कुर्सी प्रदान किये गए जिसकी कुल राशी रूपये 65,000 थी ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के इलाज हेतु समय समय पर राशी दान की जाती हैं जिसकी रसीद संलग्न कि गई (रूपये 13,000/-) ।
- ग्रामवासियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम में हैंडपंप लगवाने हेतु सहयोग राशि प्रदान की ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- प्रस्तावक द्वारा समय समय पर शासकीय भवनों में पुताई रंगत कार्य किया जाता रहा है जिसका प्रमाणीकरण ग्रामपंचायत द्वारा किया गया जिसके साक्ष्य व पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण पत्र संलग्न किये गए।
- प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी में किताबे एवं पेन पैसिल बाटे गाये व ग्राम में स्थित मंदिर संधारण हेतु सहायता कि गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों व अन्य जानवर हेतु सोलार वाटर पंप स्थापित किया गया जिसके साक्ष्य संलग्न हैं।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप लगाया गया जिसका प्रमाणीकरण डॉक्टर द्वारा दिया व अखबार में भी दिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

13. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –**Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जायें।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

14. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.04 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 1900 m Long) <i>(50 % Completed and 50 % Pending)</i> 1. 5 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. 1 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,25,000	10,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3	Development and maintenance of WBM approach Road length approx.300 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs300/meter	90,000	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water (surface and ground water)@10000/yr, Noise@10000/yr, Soil @10000/yr	NIL	50,000
5	Within Lease Area (Barrier zone and non-mining Zone) @150rs./tree (Total 2200nos)	3,30,000	20000
6	Wire fence (660m long) (@Rs200/m) <i>70 % Completed and 30 % Pending</i>	3,30,000	10,000
7	PUC certification of vehicles (03 dumpers @ Rs 500 per dumper)		1,500
8	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	10000	-
9	Drinking Water Facility and rest shelter (15x15 ft.) with solar light	-	8,000
10	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	-	5,000
11	Occupational health checkup workers and villagers (@twice/year)	Nil	50,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves for 25 workers @ Rs 2000 per set and safety harness belt for the workers involved in drilling works for max 2 workers only @ Rs 2000 per belt)- (25 x Rs 2000+Rs 4,000)	-	10,000
13	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year)@ 1000 x 2 x 25	Nil	50,000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (1 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	10,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	-	10,000
Extra Other Budget			
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 600 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon		60000
17	Contribution in cluster management plan	-	50000
18	Solid Waste Management		
	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each		10,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	Total	9,07,000	4,04,500

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

15. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
स्कूल में बच्चों के बैठने हेतु बैंच एवं डेस्क	25000.00/-
आगनबाड़ी के उन्नयन हेतु	15,000.00/-
स्कूल के बच्चों हेतु खेल सामग्री	10,000.00/-
स्कूल के उन्नयन एवं मरम्मत हेतु	15,000.00/-
अन्य कार्य पंचायत एवं ग्रामीण की मांग अनुसार	15,000.00/-
कुल	80,000/-

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.ं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के एवं गैर खनन क्षेत्र में अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2200
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

29. Case No. 9906/23 Shri VINAY BAHADUR SISODIYA, Proprietor of M/s Virendra Singh and Sons, R/o-Satendra Bhavan, Ramniwas Singh Marg, Bhatta Mohalla Katni, District- Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 17.44 ha. (Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA) (Khasra No. 211, 213/1, 213/2, 214 & 258) Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni (M.P.). [MIN/464676/2024]EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 क्षमता वृद्धि श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनय बहादुर सिंह प्रो. मैसर्स वीरेंद्र सिंह एंड संस ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मैसर्स ग्रीन सर्कल आई. एन. सी, बड़ौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मैसर्स वीरेंद्र सिंह एंड संस प्रो. विनय बहादुर सिंह पता : सत्येन्द्र भवन, राम निवास मार्ग बट्टा मोहल्ला, तहसील एवं जिला कटनी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर 211, 213/1, 213/2, 214, 258 निजी	17.44 हेक्टेयर
स्थल	खसरा नंबर 211, 213/1, 213/2, 214, 258 ग्राम- भटगवां-सुनहरा, तहसील- मुड़वारा, जिला- कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3-96/12/2/2000 दिनांक 16/02/2000 के द्वारा स्वीकृत।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत पत्रांक 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 द्वारा लीज अवधि को 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है	
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Case No 75/2008 No:197/EPCO-SEIAA/11 Date: 16-06-2011	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

MoEF & CCसे अभी प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन	18-B-8 /2011 (SEAC) Date:28/08/2023
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	उपांतरित अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार। बी-1
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 649 वीं बैठक दिनांक 07 / 06 / 2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1594/SEIAA/2023 दिनांक 04-10-2023 के द्वारा Limestone & Dolomite – 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite – 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Limestone & Dolomite – 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 30 / 12 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 28.46 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 / खनिज / 2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

तहसीलदार अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032/खनिज/2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेढ़ी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 20 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 200
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- आबादी लगभग 10 मी. जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सभी घर आस-पास की खदानों के श्रमिकों के लिये है । पश्चिम दिशा- लगभग 54 मी. पर हालेज रोड
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/02/2023 को संपन्न हुई रोड की मरम्मत करवाई जाये गांव के लोगो को रोजगार दिया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-62 पर दर्ज है ।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्पादन क्षमता में विस्तार क्षमता **Limestone & Dolomite – 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA** हेतु आवेदन

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 197 दिनांक 16/06/2011) की शर्तों का अनुपालन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाईट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी की गई इसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1000 पौधों को प्रति हे. की दर से 17,000 पौधे लगाये जाने थे, जबकि 500 से 600 पौधे लगाये गये हैं, जिसका की कम्पलाईन्स नहीं पाया गया।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के कम्पलाईन्स के पालन के संबंध कर निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

1. इसी की शर्तों के अनुसार प्लान्टेशन के संबंध क्या कमिटमेंट परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया है उसके अनुपालन के साक्ष्य प्रस्तुत करें एवं इस संबंध में समिति द्वारा प्लान्टेशन के संबंध सुझाये गये बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

2. सी. एस. आर. के कम्पलाईन्स के पालन संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत करें।
तदनुसार परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु ए.डी.एस जारी करे।

उपरोक्त जानकारी तदनुसार परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण को आज दिनांक 03/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनय बहादुर सिंह प्रो. मैसर्स वीरेंद्र सिंह एंड संस ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार जानकारियां व साक्ष्य प्रस्तुत किये –

1. **बिंदु क्र. 1** अनुसार पूर्व में सिया द्वारा जारी इसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1,000 पौधों को प्रति हे. की दर से 17,440 पौधे लगाये जाने थे—परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान इस सम्बन्ध में फारेस्ट नर्सरी सरसवाही रोपनी कटनी कार्यालय में 17,440 पौधे की कुल राशी रूपये 3,00,160/— जमा की गई जिनकी खरीद रसीद प्रस्तुतीकरण में संलग्न की गई, प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पौधे आगामी मानसून के समय आस पास कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोपित करवाए जावेंगे जिसके विवरण के तहत प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत गुबराधारी, ग्राम पंचायत टेढ़ी, ग्राम पंचायत तखला, ग्राम पंचायत राजरवारा नं.1 में उपरोक्त वर्णित पौधों के वितरण, रोपित, परिवहन व रखरखाव हेतु प्रत्येक

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

पंचायत को 4,360— 4,360 पौधे प्रदाय किये एवं परिवहन और शुरू के समय का संरक्षण के लिये व 21,000 – 21,000 रुपए के चेक प्रदान किये जिसकी प्रतियाँ प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गईं।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा पूर्व में 665 पौधे खदान क्षेत्र में लगाये गए थे जिसकी रसीद संलग्न हैं व 1,000 पौधे ग्राम पंचायत में वितरित करे गए व लगाये गए जिसका प्रमाणीकरण पंचायत द्वारा किया गया जोकि की प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गईं ।

2. बिंदु क्र. 2 अनुसार सी. एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य चाहे जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार कार्य किये व साक्ष्य और प्रमाणीकरण प्रस्तुत किये –

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोरोना काल के दौरान शासकीय अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर व ग्रामवासियों में मास्क, सेनेटाइजर, व हैण्ड ग्लव्स का वितरण किया जिसकी राशी रूपये 76,459 /- थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बहोरीबन्द में स्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु को प्रदत्त 50 बेंच – 50 टेबिल (फेब्रिकेशनकार्य के साथ) एवं शिक्षकों हेतु 12 कुर्सी प्रदान किये गए जिसकी कुल राशी रूपये 65,000 थी।
- ग्रामवासियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम में हैंडपंप लगवाने हेतु सहयोग राशि प्रदान की।
- प्रस्तावक द्वारा समय समय पर शासकीय भवनों में पुताई रंगत कार्य किया जाता रहा है जिसका प्रमाणीकरण ग्रामपंचायत द्वारा किया गया जिसके साक्ष्य व पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण पत्र संलग्न किये गए।
- प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी में किताबे एवं पेन पैसिल बाटे गाये व ग्राम में स्थित मंदिर संधारण हेतु सहायता कि गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों व अन्य जानवर हेतु सोलार वाटर पंप स्थापित किया गया जिसके साक्ष्य संलग्न किये गए
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप लगाया गया जिसका प्रमाणीकरण डॉक्टर द्वारा दिया व अखबार में भी दिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

17. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –**Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जायें।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
18. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	<u>For environment Protection</u>		
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 2000 m Long) <i>(50 % Completed and 50 % Pending)</i> 1. 4 Settling Tanks is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. 1 no Settling Tank is of 4 m wide, 15 m long & 2.5 m deep 6. 2 nos. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep 7. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,30,000	10,000
3	Maintenance of WBM approach Road length approx.1800 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs100/meter	180000	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water (Ground & Surface Water) @15000/yr, Noise@10000/yr, Soil @5000/yr & Ground	NIL	50,000
5	Within Lease Area (In non-mining Zone) @150rs./tree (Total 3490nos)	523500	
6	Wire fence (900 m long) (@Rs500/m) <i>70 % Completed and 30 % Pending</i>	4,50,000	20,000
7	PUC certification of vehicles (03 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
8	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	20000	-
9	Drinking Water Facility and rest shelter (15x15 ft.) with solar light	-	8,000
10	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	-	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

11	Occupational health checkup for workers and Villagers (@twice/year)	Nil	40,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 2 workers only - (20x Rs 2000+Rs 4,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	-	10,000
13	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year)@ 1000 x 2 x 20	Nil	40,000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (2Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	-	10,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	-	10000
Extra Other Budget			
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 600 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon		60000
17	Contribution in cluster management plan	-	30000
18	Solid Waste Management		
	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	-	10,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	Total	13,03,500	3,54,500

19. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
स्कूल में बच्चों के बैठने हेतु बैंच एवं डेस्क	25000.00/-
आगनबाड़ी के उन्नयन हेतु	15,000.00/-
स्कूल के बच्चों हेतु खेल सामग्री	15,000.00/-
स्कूल के उन्नयन एवं मरम्मत हेतु	25,000.00/-
अन्य कार्य पंचायत एवं ग्रामीण की मांग अनुसार	20,000.00/-
कुल	100000.00/-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3490 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण (खदान पट्टा सीमा परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3490
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. P2/617/24 Shri SWAPNIL SINGH, lease owner, House No-114, Peptech City, District- Satna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.43 ha. (14,082 cum per annum) (Khasra No. 91/1/1/2) Village -khamhariya khurd, Tehsil-Nagod, District- Satna (M.P.) (DEIAA- re-appraisal) [MIN/462512/2024] (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री स्वप्निल सिंह पिता श्री मृगेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Swapnil Singh S/o Shri Mrigendra Singh Baghel R/o- House No-114, Peptech City, District-Satna (M.P.)

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Pin code- 485446	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	91/1/1/2 (Pvt. land), (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.430 Ha
स्थल	Village -khamhariya khurd, Tehsil-Nagod, District- Satna, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना मध्य प्रदेश के पत्र सतना दिनांक 22/05/18 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-14,082घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 14,082 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलासतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 12/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलासतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 12/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलासतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 12/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छींद जनपद पंचायत नागौरजिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 20/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुल 02 वृक्ष हैं। जिसमें 1 पेड बैरियर जोन में एवं केवल 01 वृक्ष माइनिंग जोन में है जिसे काटा नहीं जायेगा।	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- पक्की रोड, 30 मी. पर है। 70 मीटर का सेटबैक देते हुए मैप प्रस्तुत किया गया है दक्षिण दिशा- पक्की रोड, 237 मी. पर है।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	पूर्व दिशा— आबादी 151 मी. पर है।
	उत्तर दिशा— कच्ची सड़क 32 मी. पर है। 18 मीटर का सेटबैक देते हुए मैप प्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1318 सतना दिनांक 12/07/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल है। जो सरल क्रमांक 70 में दर्ज है।

PP submitted that I would like to inform you that, as per DEIAA EC letter the production is 10,000 cum/year and as per scheme of mine closure plan the maximum production is 14,082 cum/year hence we have applying as new application for EC is being submitted for mining of mineral of minor mineral of mine lease (0-5HA.)-Form 2 as new application or for re-appraisal under ministry OM dated 28.04.2023 in parivesh portal 2.0 for environmental clearance. In view of the above, it is requested to you kindly consider our reply and proceed our case for grant of EC.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि उनके द्वारा संशोधित **नॉन ब्लास्टिंग (माईनिंग प्लान का पृष्ठ क्रमांक 21) का संशोधित माईनिंग प्लान क्षेत्रीय प्रमुख, डीजीएम, जबलपुर दिनांक 17/05/2024 के माध्यम से** अनुमोदित कराया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	25 % done अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	.
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 730 नये पौधे भी लगाये गये है। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 14,082 मी.³
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
8. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
10. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
11. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.51/- एवं रिकरिंग राशि रु. 4.94/-प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2500 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	1,12,500

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	Garland Drain is proposed (588m x 1.5m x 1.5m) Settling tank is 15m x 04m x 1.5m (02 No.)	1,00,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (60mx 5m) @200/sqm	60,000	6,000
4	Barbed Fencing (75% fencing @441m x Rs. 300)	1,32,300	13,230
4	Plantation within 7.5 barrier zone & Non- Mining Area @ Rs. 200/plant Total plantation -1100 plants for One years 1100xRs.200= Rs. 2,20,000/-	3,02,000	30,200
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation - 50plants for one years 50 xRs.500= Rs.25000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 1,120 Plants for one (1140 XRs. 50)= Rs. 57,000/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 18-19 labour@Rs.10,000/cooler) & Rs.2000/year for maintenance.	Already installed	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	10,000	2,000
9	Medical Check-up for 18-19workers @500/worker (twice in a year)	NIL	19,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	Already Given	2,000
11	PPEs for other mining operations for 18-19 workers @ Rs. 1500/worker	Already Given	2,850
12	Shelter rooms for labors (18*10) =180 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha.@9000	Already Constructed	14,400
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	NIL	6,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	75000	7,500
18	Vocational trainings for 18-19 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	NIL
19	Adoption of trees for carbon sequestration	30,000	30,000
20	Distribution of LED bulb for carbon sequestration	-	20,000
20	Fogging machine for dust suppression	1,00,000	10,000
	Total	8,51,300/-	4,94,680/-

13. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम खम्हारियाखुर्द के पंचायत की मदद से 01 हैंडपंप के साथ चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था प्रथम वर्ष में की जाएगी।	Rs.50,000/-
ग्राम खम्हारियाखुर्द पालक शिक्षक संघ के खाते में अधो संरचना विकास हेतु जमा प्रथम वर्ष में की जावेगी	Rs.70,000/-

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2290 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंठ	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन, मुनगा एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातिया।	600
2	गैर खनन क्षेत्र	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन मुनगा एवं अन्य फलदार स्थानीय	500

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

		प्रजातिया ।	
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
4	शास. अंकुर योजना के तहत खम्हा रियाखुर्द ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1120
5	खम्हारिया खुर्द ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कचनार, पुत्ररंजीवा, मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि ।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. P2/783/24 Shri Vishakha Mandloi R/o-Gumanpura, Bagdi, District-Dhar (MP)-454116, Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand and Murrum in an area of 4.00 ha. (Stone (Gitti) – 90,000 m³/Year, M-Sand – 30,000 m³/Year and Murrum – 55,000 m³/Year ar) (Khasra No. 98), Village-Bamoura, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP) [MIN/467476/2024] (B2).

पूर्व में SEAC की 757 वीं बैठक दिनांक 24/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था जिसमें परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए समिति ने चर्चा के उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 3.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक विशाखा मण्डलोई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति विशाखा मण्डलोई पिता श्री सुखदेव मण्डलोई, निवासी – गुमानपुरा, बागड़ी, धार, जिला धार म.प्र.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	98 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम बमोरा, तहसील एवं जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 254/खनिज/उ.प./न.क्र./2022-23, दिनांक 31.01.2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।
टॉर	लागू नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 90,000, मुररम-55,000 एवं एम.सैण्ड 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 90,000, मुररम-55,000 एवं एम.सैण्ड 30,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 956/खनिज/2022-23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 956/खनिज/2022-23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 956/खनिज/2022-23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बमोरा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु./पंचा/2022, दिनांक 02.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में वृक्ष नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> खदान के चारों तरफ कृषि क्षेत्र होने के कारण 25 मी का सेटबैक दिया गया है खदान कीदक्षिण दिशा में 100 मीटर पर पूर्व में स्वीकृत Temporary Permit खदानों का रेस्ट शेल्टर हैं जिसमें वर्तमान में कोई आवास एवं उपयोग नहीं है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है पूर्व में प्रकरण को दिनांक 01/09/2023 के द्वारा प्रकरण क्रमांक 9966 के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता मरुम-40,000 मी³ प्रति वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

प्रकरण को आज दिनांक 3/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक वि गाखा मण्डलोई ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **अमित सक्सेना**, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, बताया कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से सत्यापित करवाली गई है जिसका पत्र क्रमांक 18-B-227/2024(SEAC) दिनांक.27/05/2024 हैं। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन के संबंध में पाया की फेंसिंग कार्य अपूर्ण है एवं स्पष्ट नहीं है कि कितनी फेंसिंग की गई है। अतः बची हुई फेंसिंग 03 माह में पूर्ण करें एवं अपूर्ण वृक्षारोपण कार्य जुलाई-अगस्त माह वर्ष 2024 में पूर्ण करें । सामाजिक आर्थिक कार्य 06 माह में पूर्ण करें ।

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर— 90,000, मुररम—55,000 एवं एम.सैण्ड 30,000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया ।
- 2- पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन के संबंध में पाया की फेंसिंग कार्य अपूर्ण है शेष बची हुई फेंसिंग 03 माह में पूर्ण करें, एवं अपूर्ण वृक्षारोपण कार्य जुलाई—अगस्त माह वर्ष 2024 में पूर्ण करें । सामाजिक आर्थिक कार्य 06 माह में पूर्ण करें।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 5.0 KLD	1,25,000	50,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी प्वाइंट आदि का-लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 700 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	6,30,000	30,000
3.	वृक्षारोपण	5,25,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/20,000	-	40,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर .और रु (वर्ष रखरखाव के लिए।/2000	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @20000X2	40,000	3,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।		
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष) में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु।	-	27,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @10000X2 और रु। 10/000वर्ष रखरखाव के लिए।	20,000	10,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	40,500
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	40,000	4,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	8,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट , (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,000खनन वेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 () खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि	65,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण (न्यूनतम)@500 रुपये (श्रम/	-	11,000
15.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 880 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 5,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	64,000	20,000
16.	खदान के परिधि में 400 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,00,000	30,000
17.	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वृक्षों को एडोप्ट 1000 किया जायेगा	1,00,000	30,000
18.	खदान क्षेत्रमें क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	2,50,000	1,00,000
	कुल योग	21,79,000	4,93,500

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्रामबामोराके शासकीयप्राथमिकविद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,50,000
ग्राम बामोरा शासकीय प्राथमिक चिकित्सालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन एवं कृषि क्षेत्र के कारण मी 25 के सेड बैंक के साथ तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा) में 820 मीटरकी लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल , करंज, चिरोल, जंगल जलेबी , खमेर, सिस्सू आदि।	1200
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(700मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल , कचनार, करंज, चिरोल, आदि	700
3	आस पास के पांच गाव चांदूखेड़ी , रतनाखेड़ी, बमोरा, देवराखेड़ी, मंगरोला के किसानो को पौधे वितरण किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	2900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

32. Case No. 10719/23 Shri Manjeet Petwar, Project Manager, M/s KALUWALA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, 201 - 2nd Floor, Iris Tech Park, Sohna Road, Sector 48, Gurugram (Haryana) 122018 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (1]97]806 cum per annum) (Khasra No. 01) Village- Benegaon, Tehsil- Kirnapur, District-Balaghat (M.P.) [MIN/470444/2024] EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, कालूवाला कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. श्री मंजीत सिंह (प्रोजेक्ट मैनेजर) आनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था, । पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में सेक की 753-B बैठक दिनांक 18.05.2024 में निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे ।

- लीज क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है अतः लीज में लगे हुये पेड़ों की इन्वेन्ट्री (प्रजाति, ऊँचाई, गirth एवं गोलाई) जियोटेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें ।
- लीज क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है इस संबंध में जिलाध्यक्ष से प्रतिवेदन प्राप्त की जावेगी किया जावे कि प्रश्नाधीन खदान से लगी अन्य स्वीकृत खदानों से निकलने वाले पत्थर की पूर्ति अन्य खदानों से संभव हो सकता है क्या? इस संबंध में सेक से पत्र जारी किया जावे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- खनन क्षेत्र में जिन स्थानों में वृक्ष नहीं हैं उसका क्षेत्रफल तथा उसमें उत्पादन होने की प्रस्तावित मात्रा की जानकारी माईनिंग अफसर से प्राप्त करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की निम्न जानकारी प्रस्तुत की।

कलेक्टर, जिला-बालाघाट के पत्र क्रमांक 540 दिनांक 27/05/2024 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई।

- लीज क्षेत्र में कुल 240 वृक्ष हैं अगर कोई भी वृक्ष काटा जावेगा तो उसके एवज में 10 गुना के स्थान पर 20 गुना वृक्ष लगाये जाना सुनिश्चित किया जावेगा। लीज में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :-
- लीजमेंस्थितपेड़ोकाविवरण : खजूर -72, छेवला -67 , नीम -15, इमली -8, बबूल 55 पेड़एवंरायमुनियाकी 23 झाड़ीहै। कुल 240 वृक्ष।
- यदिपेड़काटेजानेहेतोउनकाविवरण: खजूर -72, छेवला -67 , नीम -15, इमली -8, बबूल 55 पेड़एवंरायमुनियाकी 23 झाड़ीहै।
- काटेजानेवालेवृक्ष: खजूर -46, छेवला -32 , नीम 5, बबूल 48 पेड़एवंरायमुनियाकी 17 झाड़ीहै। कुल 148 वृक्ष।
- काटेजानेवालेपेड़ोकेएवजमें 20 गुणा वृक्ष लगाए जाना प्रस्तावित है, 148 X20 = 2960 say 3000 है।
- यदिपेड़ोकोगैरखननक्षेत्रकेरूपमेंछोड़ाजानाहेतोउसकाविवरण: 92 वृक्ष।
- कलेक्टर, जिला-बालाघाट के पत्र क्रमांक 540 दिनांक 27/05/2024 के अनुसार आस-पास अन्य कोई शासकीय भूमि खनन हेतु उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा उक्त उत्पादन की पूर्ति की जा सके।
- उक्त पत्र के अनुसार 1.5 हे. भूमि पर वृक्ष नहीं लगे हैं। अतः उक्त क्षेत्र पर ही माईनिंग की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेज

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स,कालूवाला कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., श्री मंजीत सिंह (प्रोजेक्ट मैनेजर) पता-201 द्वितीय तल आईरीस टेक पार्क, सोहना रोड सेक्टर 48 गुरुग्राम हरियाणा।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानंबर -1 (Part), शासकीयभूमि	3.00हेक्टेयर
स्थल	ग्राम-बेनेगाँव, तहसील-किरनापुर, जिला-बालाघाट (मध्यप्रदेश)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

	935/खनिज/ 2023 दिनांक 09.08.23 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग की जावेगी।
प्रकरण की स्थिति	नवीन, अस्थायी अनुज्ञा।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं।
टॉर	2940/SEIAA/2024 dated 16.02.2024
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-197806 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-197806 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 9.537 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेनेगाँव जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक.09 दिनांक 07.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	क्रशरउत्खनिपट्टाक्षेत्रसेबाहरहै।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज़मेंस्थितपेड़ोकाविवरण : खजूर -72, छेवला -67 , नीम -15, इमली -8, बबूल 55 पेड़एवंरायमुनियाकी 23 झाड़ीहै। कुल 240 वृक्ष। • यदिपेड़काटेजानेहैतोउनकाविवरण: खजूर -72, छेवला -67 , नीम -15, इमली -8, बबूल 55 पेड़एवंरायमुनियाकी 23 झाड़ीहै। • काटेजानेवालेवृक्ष : खजूर -46, छेवला -32 , नीम 5, बबूल 48 पेड़एवंरायमुनियाकी 17 झाड़ीहै। कुल 148 वृक्ष। • काटेजानेवालेपेड़ोकेएवजमें 20 गुणा वृक्ष लगाए जाना प्रस्तावित है, 148 X20 = 2960 say 3000 है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

	<ul style="list-style-type: none"> यदि पेड़ों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण: 92 वृक्ष
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटका	<p>उत्तर दिशा - 328 मीटर की दूरी पर उत्तर में पक्की सड़क एवं 600 मीटर की दूरी पर ग्राम दहेदी (उत्तर - दक्षिण) स्थित है।</p> <p>दक्षिण दिशा - अन्य खदान संचालित है।</p> <p>पूर्व दिशा - अन्य खदान संचालित है।</p> <p>पश्चिम दिशा - मरवाही ग्राम 1.089 कि.मी. की दूरी पर है।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दिया जावेगा।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि 1.50 हे. भूमि पर वृक्ष नहीं लगे हैं। अतः उक्त क्षेत्र पर ही माईनिंग की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 1,97,806 घनमीटर प्रति वर्ष है।
- 2- Collector Distt. Balaghat letter no. 50 dated 27.05.2024 there is a change in area of mining from 3.0 ha. to 1.5 ha. so ultimate pit block and as per prescribed revised Surface plan due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
- 3- अतः उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार संशोधित माईनिंग प्लान की सीमा तक खनन स्वीकृत के शर्त के अधीन अस्थायी (Tentative) मात्रा 1,97,806 घनमीटर प्रति वर्ष अनुशंसा की जाती है। भू प्रवेश के पूर्व 1.5 हे. हेतु संशोधित माईनिंग प्लान एवं जियोलॉजिकल प्लान की स्वीकृति आवश्यक होगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **14,18,400/-**लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **4,04,200/-** लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital	Recurring
1	पानी की आवश्यकता (@INR 300 / टैंकर x 7 KLD के 2 टैंकर x 300 दिन)	0.00	1,80,000.00
2	सेटलिंग टैंक एस प्रकार (10 मीटर x 2 मीटर x 2 मीटर) और गारलैंड ड्रेन (697 मीटर x 1.5 मीटर x 2 मीटर)	50,000.00	10,000.00
3	एप्रोच रोड का रखरखाव, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (340 मीटर लंबाई x 5.0 मीटर चौड़ाई)	50,000.00	10,000.00
4	कुल वृक्षारोपण 4925 (पट्टा क्षेत्र - 4500 पौधे @ 100 रुपये/पौधे और पहुंच मार्ग - 425 पौधे @ 200 रुपये/पौधा)	5,35,000.00	20,000.00
5	वर्ष में दो बार निगरानी (परिवेशीय वायु @ 15000 रु., पानी @ रु. 10000, परिवेशीय शोर @ रु. 5000)	0.00	60,000.00
6	तार की बाड़ (लगभग 697 मीटर @ 200 / मीटर)	1,39,400.00	10,000.00
7	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की सुविधा (18 श्रमिकों के लिए 2 वाटर कूलर @ 10,000 रुपये प्रत्येक और रखरखाव के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष)	20,000.00	3,000.00
8	महिलाओ एवं पुरुषों के लिए शौचालय @ 20000 x 2 रुपये सोखता गड्ढों के साथ और 2000 रुपये/वर्ष रखरखाव के लिए	40,000.00	2,000.00
9	18 श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच - INR 500/कार्यकर्ता (वर्ष में दो बार)	0.00	18,000.00
10	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण रखरखाव के लिए @INR 15000 X 1 और 1000/वर्ष।	15,000.00	1,000.00
11	पीपीईएस (हेलमेट, जूते, दस्ताने, चश्मा आदि) का प्रावधान @ 1500 x 18 श्रमिक	0.00	27,000.00
12	श्रमिकों के लिए आश्रय कक्ष (30*20) = 600 वर्ग फुट	50,000.00	5,000.00
13	दोकूडेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली @ INR 1000/यूनिट और 1000/वर्ष रखरखाव	2,000.00	2,000.00

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

14	20 ट्रक एवं अन्य वाहन के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणन @ 500/प्रत्येक	0.00	20,000.00
15	चारागाह भूमि विकास रु. 5.00 हेक्टेयर तक की खदानों के लिए @ 5000	5,000.00	0.00
16	विविध व्यय जैसे 2 सोलर लाइट - 6000 रुपये/लाइट और प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड - 2000 रुपये	12,000.00	1,200.00
17	श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500/श्रमिक)	0.00	9,000.00
18	कार्बन ट्रेडिंग के लिए आसपास के किसानों से पूर्ण विकसित 350 पेड़ों को गोद लेना (10 वर्ष)	3,50,000.00	0.00
19	ग्राम पंचायत में वर्षा जल संचयन	1,50,000.00	15,000.00
20	पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में किसानों/स्थानीय समितियों और पंचायत को प्रशिक्षण	0.00	10,000.00
Total		14,18,400.00	4,04,200.00

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **1,50,000/-**लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
बेनेगाँवस्कूल के माध्यमिक शाला में 3 माह के भीतर सहयोग राशि प्रदान करना	1,50,000.00

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 2 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4925वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.मां.क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल	पौधों की प्रजाति	पौधों की संख्या	रिमार्क
1	बॅरिअरज़ोनमेंवृक्षारोपण	करंज, चिरोल, जंगलजलेबी, पीपल, वस्थानीयप्रजातिआदि। 4	2000	पौधोंसेपौधोंकेबीच कीदूरी 3

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

		पौधोंकेबीचमेंएकसीताफलपौधेकारोपणकियाजाएगा।		मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी. औरगड्डेकाआकार0.60मी. x0.60मी. x0.60मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा।
2	आवागमनसड़कपरवृक्षारोपण	नीम,बबूल, जंगलजलेबी, करंजचिरोल,वकस्तरआदि।	850	
3	बेनेगाँवस्कूलएवंग्रामपंचायतबेनेगाँवकेपासतथाग्रामसेपहुंचमार्गतकवृक्षारोपण	कदम्ब,सिस्सू,पीपल,करंजएवंस्थानीयप्रजातियां।	1075	
4	बेनेगाँव,दहेदी, अमझरग्रामवासियोंकोपौधोकावितरण	आम,ईमली, बेल,आवला,सीताफल,मुनगा,नींबूस्थानीयप्रजातिआदि।	1000	
Total			4925	
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>				

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No. P2/960/24 Shri D S Thakur Thakur, Chief Engineer, OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, RANI AVANTI BAI LODHI SAGAR PROJECT, BARGI HILLS, JABALPUR, Distt. - JABALPUR, (M.P.) 482001, Prior Environment Clearance for Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.). CCA- 31, 839 ha., The submergence area under the dam is estimated as 1087 Ha., ToR (River Valley Project). [RIV/472148/2024] Cat. -1(c) ToR Project.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

PP submitted following information on Parivesh portal.

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/RIV/472148/2024. Cat. - 1(c) River Valley Project.
2.	Project Name	Shri D S Thakur Thakur, Chief Engineer, OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER,RANI AVANTI BAI LODHI SAGAR PROJECT,BARGI HILLS, JABALPUR, Distt. - JABALPUR, (M.P.) 482001, Prior Environment Clearance for Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.).CCA- 31, 839 ha.,The submergence area under the dam is estimated as 1087 Ha., ToR (RVP). SIA/MP/RIV/472148/2024
3.	EC Status	Fresh Case.
4.	Construction Start details	Undertaking submitted by PP - No Construction Start at Project site.
5.	ToR	Proposed.
6.	Type of Irrigation	Lift
7.	Type of Irrigation (Flood/Drip)	Drip.
8.	Description of Project	The Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) is proposed on River Hard a tributary of Rver Shakkar at Tehsil/Block Harrai District- Chhindwara (M.P.) to provide pressurized pipe irrigation in 31, 839 ha of CCA in Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.). The submergence area under the dam is estimated as 1087 Ha.
9.	River	Hard a tributary of River Shakkar
10.	ToR Proposed	Submitted by PP.
11.	Muck Restoration Plan	Details are being worked out, will be provided in EIA & EMP Report
12.	Details of CTE	Will be obtained after environmental clearance.
13.	DFO NOC letter details	PP Apply letter 45 dated 06/01/2023.
14.	PWD distance letter	PP Apply letter 41 dated 06/01/2023.
15.	CEPI	NA
16.	EMP/ Env. Con	R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd.Gurgaon (Haryyana).
17.	PFR	Submitted by PP.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Ankur Sharma, Executive Engineer, NVDA, Chhindwara with the following details of the project:

During presentation, PP submitted that no forest land is involved in this project. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Detailed diagrammatic representation of command area and any of the submergence area shall be prepared and appended with EIA report.
2. Status of land as per land record register of concerned collector.
3. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
4. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
5. Thematic diagram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
6. Distance from nearby National Park/ WLS same shall be submitted with EIA report.
7. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
8. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
9. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlement site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
10. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.

- 11.** Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise pollution will be studied. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
- 12.** All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
- 13.** A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- 14.** Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
- 15.** Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
- 16.** Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
- 17.** The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
- 18.** Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
- 19.** An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 20.** Muck management plan wrt machinery deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
- 21.** An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
- 22.** PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

23. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
24. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
25. Ecological damage study wrt flora and fauna and tree felling .
26. Eco-services system.
27. Status of FC clearnces stage I & stage II.
28. Soil conservation plan.
29. Calculate the Ecoservice System & its remediaton plan.
30. Catchment improvement plan.
31. Biodiversity conservation plan regarding flora & fauna, approved by the District Biodiversity Board.
32. Calculate the carbonfoot print include all componants.
33. Wild life conservation plan which shall be approved from district level authority as Schedule –I species are occurring in the project area.
34. To protect or minimization of seepage towards habitation side, hence management Plan shall be submitted.

34. Case No. 9961/2023 Ms Seema Devda, Owner, R/o- 62, New Globus City, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone Quarry 11760 cum per year) (Khasra No. 3/2) Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [MIN/471844/2024] EIA

प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंबायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) थे, परियोजना प्रस्तावक ने उनके स्थान पर अब मेसर्स **Zenith Environment Consultancy** अधिकृत किया गया है ।

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Ms Seema Devda, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज मेसर्स **Zenith Environment Consultancy** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Ms Seema Devda, Owner, R/o- 62, New Globus City, District-Ratlam (MP)-457001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	3/2(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 594 दिनांक 15/3/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 655वीं बैठक दिनांक 22/6/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 962 दिनांक 24/7/2023 के द्वारा Stone Quarry11760 cum per yearके लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone Quarry11760 cum per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone Quarry11760 cum per year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/3/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-..... श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/3/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/3/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव 17/8/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -No

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 130 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 713 दिनांक 27/3/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण की पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- खदान क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में पक्का रोड लगभग 130 मी. की दूरी पर स्थित है। अतः सेटबैक छोड़ने के पश्चात् संशोधित सरफेस प्लान प्रोडक्शन प्लान के साथ खनन योग्य एवं गैर खनन योग्य क्षेत्र प्रस्तुत करें।

35. Case No. P2/220/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (475591) Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - CHAPLASAR-1, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 54000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

नाम व पता	Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.0 Ha.			
स्थल	Village - Chaplasar 1 & Tehsil - Makhannagar, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (चपलासर)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अन्य खदानें	प्रमाण-पत्र क्रमांक 819/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 95.665 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 819/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 819/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चपलासर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 17.08.2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 5.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 1.8 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.63 हे. छोड़ने पर 4.37 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 54000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के आसपास से परिवहन रोकने का बिन्दु उठाया गया है अतः उक्त मार्गों से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -54000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 690 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	69,000	5,000
3	Plantation (5244 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,93,300	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,52,300	3,54,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम छपलासर 1 के आँगनवाड़ी केंद्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000
2	ग्राम छपलासर 1 के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5,244 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं .	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	874
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	874
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगा	3,496

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	ईजाएगी
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित करारा जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।</p> <p>परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।</p>	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36. Case No. P2/204/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (475631) Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 14.366 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Pilikarar, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 189631 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 14.366 Ha.			
स्थल	Village - Pilikarar & Tehsil - Narmadapuram, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पीलीकरार) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण	नहीं			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,89,631 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 823/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 86.404 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 823/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 823/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चपलासर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.11.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 13के सरल क्रमांक-75 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र का अवलोकन किया गया। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 14.366 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.20 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.886 हे. छोड़ने पर 11.48 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 189631 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के आसपास से परिवहन रोकने का बिन्दु उठाया गया है अतःउक्त मार्गों से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 189631 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1250 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,25,000	5,000
3	Plantation (13,776 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,33,200	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	16,58,200	3,54,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पीलीकरार-1 मे परिवहन मार्ग एव नाली की मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	3.00.000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 13,776 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं .	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे।से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	2,296

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	2,29 6
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेरे, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगा ईजाएगी	9,18 4
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कू ल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रा मीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

37. Case No. P2/421/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (478403) Prior Environment Clearance for 20.000 Hectare, Khasra No.- 235, in Village - Sojani, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 240000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 235 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम – सोजनी, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सोजनी रेत खदान, दिनांक-16/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सोजनी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,40,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 16.660 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 36.660 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सोजनी जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/05/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-93 के सरल क्रमांक-09 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-09 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 20.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 4 कि.मी. से अधिक दूरी पर ब्रिज है । गुगल ईमेज में अपलोड की गई के.एम.एल फाईल के कॉर्डिनेट माईनिंग प्लान के अनुसार नहीं है। अतः के.एम.एल. फाईल में सुधार कर प्रस्तुत की जायें।

ADS- माईनिंग प्लान के कोआर्डिनेट के अनुसार के.एम.एल फाईल अपलोड कर प्रस्तुत की जायें।

38. Case No. P2/197/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (475632) Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 92/1, 93/2, 94/1 in Village - Jhalsarseth-1, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 54000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

3. परियोजना विवरण :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.00 Ha.			
स्थल	Village – Jhalsarseth & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (झालसरसेठ)दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 54,000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन	किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 827/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 40.934 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 827/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 827/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झालसरसेठ जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02.02.2012 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । मार्च 2024 की गूगल ईमेज का अवलोकन करने पर खनन क्षेत्र में जल भराव तथा आसपास कृषि भूमि दिखा रही है । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 1.80 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.92 हे. छोड़ने पर 3.08 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 54000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है । दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के आसपास से परिवहन रोकने का बिन्दु उठाया गया है अतः उक्त मार्गों से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -54000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 970 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	97,000	5,000
3	Plantation (3696 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,77,200	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	--

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	8,64,200	3,54,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम झालसरसेठ के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000
2	ग्राम झालसरसेठ मे परिवहन मार्ग एव नाली की मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3,696 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे।से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	616

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	616
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगा ईजाएगी	2,46 4
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रा मीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

39. Case No. P2/196/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (475613) Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.691 Hectare, Khasra No.- 92/, 93/2, 94/1 in Village - JHALSARSETH, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 188292 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

4. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 15.691 Ha.			
स्थल	Village - Jhalsarseth & Tehsil - Makhannagar, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्थिति				
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (झालसरसेठ)दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैंडर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,88,292घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 825/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 40.934 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 825/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 825/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झालसरसेठ जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02.02.2012 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 13के सरल क्रमांक-76 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 15.691 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.0 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.371हे. छोड़ने पर 13.32 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 188292 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -188292 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक स्कूल, आँगनबाड़ी, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के आसपास से परिवाहन रोकने का बिन्दु उठाया गया है अतः उक्त मार्गों से परिवाहन प्रतिबंधित रहेगा ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 970 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	97,000	5,000
3	Plantation (15,984 plants will be planted & Distribution during the first year).	11,98,800	20,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	17,95,800	3,64,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2,0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम झालसरसेठ के आंगनवाडी केन्द्र एवं प्राथमिक शाला मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिएग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000
2.	प्राथमिक शाला की मरम्मत के लिएग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	कराने हेतु ।	
--	--------------	--

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 15,984 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	2,664
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातियाँ	2,664
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	10,656

- ✓ वृक्षोंका रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधो रोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कू

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

ल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख -
रखावकियाजावेगा।
परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेगा
मीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या
कीपूर्तीकीजासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. P2/405/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (478404) Prior Environment Clearance for 3.100 Hectare, Khasra No.- 118, 435, in Village - MOHNI, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 42780 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –118 व 435 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.10 हे.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्थल	ग्राम – मोहनी, तहसील –बरही, जिला– कटनी (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम इमलिया रेत खदान, दिनांक– 16/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा मोहनी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 42,780 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 42,780 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 8.19 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.29 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था /चिकित्सालय/

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम आन घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे आन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बडवारा जिला कटनी के अनापत्ती पत्र प्रस्ताव क्र. 08 दिनांक 21/02/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	उमरार नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-44 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 3.100 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.3 मीटर रखी गई है। खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/24 अनुसार संशोधित कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 41480 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -41480 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें । खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 0.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length × 5m in width)	90,000	15,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (800X150 = □1,20,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (100X500 = □ 50,000)	2,36,750	23,675
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (1335X50 = □ 66,750)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	20,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 25	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and	30,000	3,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Rs. 3000/year for Maintenance.		
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25× 500 × 2)	-	25,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25× 1500)	37,500	7,500
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	-
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	6,40,250/-	3,64,175/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम मोहनी में रोड लाईट के लिए ।	20,000
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मोहनी के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

कुल	1,20,000
-----	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1335 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1335
कुल			2235

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41. Case No. P2/214/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, (477286) Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.20 Hectare, Khasra No.- 253 in Village - KIRPURA, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 363600 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

5. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 20.20 Ha.
स्थल	Village – Kirpura & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (किरपुरा) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैंडर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,63,600 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 61.11 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	प्रमाण-पत्र क्रमांक 759/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गूजरवाड़ा जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14के सरल क्रमांक-88 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 20.20 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 10.76 हे. छोड़ने पर 9.44 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 188292 घनमीटर/वर्ष अनुशांसित है। जन सुवाई में खसरा क्रमांक - 253 का रकबा 26.00 हेक्टेयर लिखा गया है। उल्लेखनीय है, कि माईनिंग प्लान में वास्तविक रकबा 20.20 हेक्टेयर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट -188292घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,80,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 830 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	83,000	5,000
3	Plantation (11,328 plants will be planted & Distribution during the first year).	8,49,600	18,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 45 Labour @ 500 Rs. 22,500 Rs./twice per year @500 x 2 x45	Nil	45,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) ,45 labor @1000 Rs.	45,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
13	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	15,57,600	3,64,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम किरपुरा के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिएग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000
2	ग्राम किरपुरा में परिवहन मार्ग एव नाली की मरम्मत के लिएग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 11328 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	1,888
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	1,888
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	7,552

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख -रखावकियाजावेगा।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परिवहनमार्गया अन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रा मीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

42. Case No. P2/446/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 1.210 Hectare, Khasra No.-187, in Village - Kotparamahant-स, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 14520 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 187 (11ासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 1.210 हे.
स्थल	ग्राम – कोटपारमहंत, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कोटपारमहंत-स रेत खदान, दिनांक-22/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-स रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 14,520 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 14,520 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 23.30 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.51 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेन / दूरदर्शन / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मांगरोल (कोटपारमहंत) जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/05/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-14 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 1.210 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3 मीटर रखी गई है। खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में अपस्ट्रीम में एक कि. मी. से अधिक दूरी पर मेजर ब्रिज है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 14520 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन क्षमता रेत -14520घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।**
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 2.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(300X15 0= □ 45,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(80X500 = □ 40,000)	1,30,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(500X50 = □ 25,000)	13,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	6,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for	--	--

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	grassland/fodder development on Charnoi Land.			
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40×500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		5,81,000/-	3,69,000/-

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम कोटपारमहंत-स के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 80,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	80,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

कुल	80,000
------------	---------------

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 380 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 500 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	80
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
कुल			880

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

43. Case No. P2/423/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 15.000 Hectare, Khasra No.- 317, in Village - Sevni-1 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 317 (ग्रासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – सिवनी, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर	डी एस आर अनुसार ।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सिवनी रेत खदान, दिनांक-21/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-अ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.905 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 22.905 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन पील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदनि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बखाकलां जिला रायसेन के अनापत्ती ग्राम सभा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 94-95 के सरल क्रमांक-19 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 15.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3 मीटर रखी गई है। खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 4 कि. मी. से अधिक दूरी पर मेजर ब्रिज है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 180000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -180000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारी के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	5000X 150= 7,50,000	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	200X50 0 = 1,00,000	11,30,000 /-
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	5600X5 0 = 2,80,000 /-	1,13,000 /-
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (84 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	84,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 90	90,000	18,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 90 Labors -90× 500 × 2)	-	90,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs.	1,35,000	27,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	1500/worker. (For 90 workers - 90 × 1500)		
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	25,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	3,00,000	3,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	21,16,000 /-	9,89,000/-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 3.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम सिवनी के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 3,10,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	3,10,000
कुल	3,10,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5600 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा,	5000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	से 1 से 6 पंक्तियों में)	लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	5600
कुल			10800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

44. Case No. P2/445/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.-299, in Village - GHATPIPRIYA-2 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 299 (ग्रासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – घाटपिपरिया-2, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घाटपिपरिया-2 रेत खदान, दिनांक-25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा घाटपिपरिया-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 48,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.90 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.90 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन मील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घाटपिपरिया जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-93 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-07 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 4.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है। डीएसआर के अनुसार गहराई 3.0 मी. है। खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान के अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 48000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -48000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 470 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	47,000	5,000
3	Plantation (12000 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,00,000	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	14,17,000	3,39,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	सांगाखेड़ाकलॉमेस्वास्थ्यकेंद्रकेनिर्माणकार्यकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	2,00,000
2	सांगाखेड़ाकलॉमेसड़केचौडीकरणकेविकासकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	2,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ
----	--------------------------	-------------------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	2,00 0
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	2,00 0
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	8,00 0

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-
रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव,
मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख -
रखावकियाजावेगा।
परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

45. Case No. P2/352/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 11.200 Hectare, Khasra No.- 210, in Village - KAJALWANI, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 59136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 210 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 11.20 हे.
स्थल	ग्राम – काजलवानी, तहसील – सौसर, जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्इनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम काजलवानी रेत खदान, दिनांक- 18/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा काजलवानी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 59,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 59,136 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 177 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.20 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 177 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 177 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदनि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत काजलवानी जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र प्रस्ताव क्र. 04 दिनांक 04/12/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कन्हान नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/10/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-54 के सरल क्रमांक-37 एवं पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-56 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कन्हान नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 11.200 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 0.5 मीटर रखी गई है। खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 155 दिनांक 30/01/24 अनुसार संशोधित कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये। माईनिंग प्लान में खनन कार्य हेतु गहराई 0.88 मीटर है तथा डी. एस. आर. में 0.5 दी गई है अतः डी.एस.आर. की गहराई को मान्य किया गया है, अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 14000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -14000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगा तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	2,70,000
1(b)	Water requirement- 7.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1500m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	7,72,000	77,200

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2500 X150= □ 3,75,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(264X 500= □ 1,32,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5300 X50 = □ 2,65,500)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (28 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	28,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 33		30,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For33 Labors - 33× 500 × 2)		-	33,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs.		49,500	10,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	1500/worker. (For 33 workers - 33 × 1500)		
12	Shelter rooms for labors (20*15 ft) =300 Square feet	50,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	2,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		30,000
	16(A) - Village Farmers For Trees Adaptation	30,000	
	16(B) - Distribution of LED Bulb	50,000	
	Total	12,57,500/-	6,58,200/-

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
काजलवानी गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	30,000
कुल	30,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2764 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5300 वृक्षों का वितरण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	264
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5300
कुल			8064
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

46. Case No. P2/355/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 9.757 Hectare, Khasra No.- 43, in Village - Baradevi Khapa, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 117084 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 43 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 9.757 हे.
स्थल	ग्राम – बारादेवी खापा, तहसील – सौसर, जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बारादेवी खापा रेत खदान, दिनांक – 18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बारादेवी खापा रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,17,084 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,17,084 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 9.757 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन मील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खापा जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र दिनांक 07/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कन्हान नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-55 एवं पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-55 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कन्हान नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 9.757 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 0.5 मीटर रखी गई है। गूगल इमेज 13/11/2022 के अवलोकन पर पूर्व दिशा की ओर खनन क्षेत्र से 60 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र दृष्टिगोचर हो रहा है इसकी पुष्टि वन मण्डलाधिकारी से कराकर प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निवेदन किया गया कि वन क्षेत्र की ओर से 250 मीटर का सेटबैक देने पर 2.3 हे. खनन क्षेत्र से सुरक्षित रखा जावेगा। इस प्रकार कुल खनन क्षेत्र 9.757 माईनिंग प्लान अनुसार खनन कार्य हेतु गहराई 2 मीटर है तथा डी.एस.आर. में 0.5 दर्शित गहराई के अनुसार 60 प्रतिशत रेत उपलब्धता को देखते हुये 22311 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -22311 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	2,70,000	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		7,21,250	72,125
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2800X150= □ 4,20,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= □ 1,00,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4025X50 = □ 2,01,250)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (55 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	55,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 63		50,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 63 Labors -63× 500 × 2)		-	63,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs.		94,500	50,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	1500/worker. (For 63 workers - 63 × 1500)		
12	Shelter rooms for labors (25*20 ft) =500 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	50,000	50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	
Total		13,61,750/-	6,26,125/-

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बारादेवीखापा के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000
कुल	50,000/-

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7400 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4025
कुल			7025
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

47. Case No. P2/443/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.-299, in Village - GHATPIPRIYA-4, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 299 (ग्रासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – घाटपिपरिया-2, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घाटपिपरिया-2 रेत खदान, दिनांक-25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा घाटपिपरिया-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत -36,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.90 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.90 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/ दूरद न/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घाटपिपरिया जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-93 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-07 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 3.0 हे. एवं माईन प्लान तथा डी.एस.आर अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 36000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चत करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	3,54,000	35,400
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1200X150= □1,80,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= □1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1480X50 = □74,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20	--	20,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Trucks × 500 × 2 times in a year)			
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows:			
	One solar light, (@ Rs. 8000/light)			
	2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		9,55,000/-	5,43,400/-

13. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम के रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में 1,30,000 रुपये की राशि भू प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा करा दी जावेगी	1,30,000
कुल	1,30,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1480 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1480
कुल			2880
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

48. Case No. P2/353/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 264, in Village - Lohani, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 108000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 264 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 6.00 हे.
स्थल	ग्राम - लोहानी, तहसील - सौसर, जिला -	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	छिंदवाड़ा (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम लोहानी रेत खदान, दिनांक- 18/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा लोहानी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,08,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,08,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1131 दिनांक

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालेगांव के अंतर्गत ग्राम लोहानी जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 27/01/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कन्हान नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-58 एवं पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कन्हान नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 6.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 3.08 हे. छोड़ने पर 2.92 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः नदी के अविरल बहाव को बनाये रखने के लिये सेटबैक छोड़ा

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

गए। डी.एस.आर. में दी गई गहराई अनुसार रेत उपलब्धता को देखते हुये 87000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -87000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
.			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X150 = □ 1,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	320X500 = □ 1,60,000)	4,60,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3000X50 = □ 1,50,000)	46,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (50 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	50,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 59	50,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @ 15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima	5,000	1,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 63 Labors -59× 500 × 2)	-	59,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 59 workers - 59 × 1500)	88,500	8,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	50,000	
Total		9,79,500/-	5,77,000/-

15. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.7 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
लोहानी गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशालाके विकास के लिए।	70,000
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लोहानी के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,70,000/-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1320 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	320
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
कुल			4320

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

49. Case No. P2/115/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.50 Hectare, Khasra No.- 251 in Village - CHUTIA -, Tehsil - Khairlanji, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 27000 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चंदन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लेन्वर्ण प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	251(सरकारी-गैर वन भूमि)	4.50 हे.
स्थल	ग्राम-चुटिया, तहसील-खैरलांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 27000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 27000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1985 दिनांक 22/02/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1985 दिनांक 22/02/2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1985 दिनांक 22/02/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -चुटिया,ग्रामसभा-चुटिया,जिला-बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.- 83के सरल क्रमांक- 49 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. माननीय विधायक श्री गौरव सिंह पारधी जी कंसल्टेंट के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। पानी का उपयोग डोमेस्टिक उपयोग के लिए नहीं है। इस खदान में रेत नहीं है। जहां पर माईनिंग करते हैं वहां पर पर्यावरण का बहुत गहरा इफेक्ट पडने वाला है। जमीन का पानी खारापन है। पीने लायक नहीं है। BOD के कंटेंट ज्यादा है आज तक किसी भी खदान में स्वीकृत राशि प्रदान नहीं की। पूर्व खदानों में स्वीकृत राशि प्रदान नहीं की गई, ना ही स्थानी लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। चंदन नदी छोटी नदी है

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	<p>इसको स्लोप नहीं है। नई रेत नहीं आती। जब तक रेत है तब तक नदी है, नहीं तो नाला बन जाएगा। रेत निकालने से ग्राउंडवाटर एकदम नीचे चला गया। नल, ट्यूबवेल से पानी खत्म है। पर्यावरण को क्षति हुई है। नदिया नहीं होगी तो, पलायन करना होगा। आपका माइनिंग प्लान पूर्णतः गलत है।</p> <p>2. विधायक महोदय विक्की पटेल जी पर्यावरण में दी गई स्वीकृति में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया अवैध खनन पर कार्यवाही करे, रेत समाप्त हो गई खदान में। माइनिंग विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन न बिगाड़े, खदान को स्वीकृति प्रदान न की जाए। स्थानीय रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। बाहर के लोग रेत निकाल रहे हैं। 20 मीटर रेत निकाल ली गई। बोरवेल का पानी 500 मीटर तक नहीं है। कृषकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, खदान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। न सीमांकन हुआ ना मुनारे लगे। कृपया सहयोग प्रदान करें। माइनिंग विभाग की मॉनिटरिंग नहीं की जाती। धड़ल्ले से रेत चोरी हो रही है।</p> <p>3. ग्राम पंचायत की NOC कितने वर्षों के लिए भेजी जाती है, ग्राम वासियों को रेत नहीं दी जाती।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र चन्दन नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 4.5 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 1.0 मीटर रखी गई है। गूगल ईमेज अक्टूबर 2022 के अवलोकन पर जल भराव क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2021 की प्रस्तुत गूगल ईमेज में रेत उपलब्धता दिख रही है। डी.एस.आर. में खनन गहराई 3.0 मीटर है व माइनिंग प्लान में खनन गहराई 1.5 मीटर दी गई है। अतः खनन हेतु 1.0 मीटर गहराई को दृष्टिगत रखते हुये रेत उपलब्धता को देखते हुये 27000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -27000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
रेत खनन के निकतम ग्राम चुटिया में वर्षा जल संचयन हेतु ग्रामीण अधोसरोचना विकास समिति को राशि प्रदान की जावेगी	76000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्र.	वृक्षारोपणहेतुनियतस्थल	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट ससे 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज , जामुन , कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	चुटिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर , आँवला , मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			3000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम , लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	141840
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	250000	25000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16000
9	VT Training for Labours	Nil	6400
C. Carbon Sequestration			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	100000	100000
D. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	1000	-
Total		438500	398490

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

50. Case No. P2/120/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.00 Hectare, Khasra No.- 14/1 in Village - BHATERA, Tehsil - Bhalghat, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 105000 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लेन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीपूरन लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	14/1(सरकारी-गैर वन भूमि)	7.00 हे.
स्थल	ग्राम-भटेरा, तहसील-बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 105000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 105000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/620 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/620 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/620 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -भटेरा, ग्रामसभा-भटेरा, जिला-बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 17/10/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-80 के सरल क्रमांक-9 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. गाँव के बीच से ट्रैक्टर एवं डम्पर निकलते हैं। छोटे - छोटे बच्चे खेलते हैं, जिससे गाँव में दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। भारी वाहनों के निकलने से धूल उड़ती है, घरों में धूल भर जाती है। रेत का परिवहन अन्य स्थानों से किया जावे। 2. ग्राम पंचायत को कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ग्राम पंचायत के लिए 50% की राशि प्रदान की जावे। बारिश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जावे। धूल के नियंत्रण के लिए टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव किया जावे। गाँव के बाहर की सड़क से वाहनों का आवागमन किया जावे। 3. भारी वाहनों के चलने से गाँव की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, कृपया सड़क की मरम्मत कराई जावे। सड़क निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जावे। 4. बायो टॉयलेट और वृक्षारोपण के बारे में विस्तार से बतावे। 5. रात्रि में रेत का परिवहन ना किया जावे। रात्रि के समय रेत परिवहन करने से वन्य प्राणियों के आवागमन एवं भ्रमण में बाधाएँ आती हैं, एवं दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र वेनगंगा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 7.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.5 मीटर रखी गई है। गूगल ईमेज मार्च 2024 के अवलोकन अनुसार लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र में जल भराव क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है। गूगल ईमेज में उपलब्ध रेत खनन के आधार पर 95000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। रेत परिवहन मार्ग नदी के अन्दर से होना बताया गया है जिसे समिति द्वारा परिवर्तन कराया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन क्षमता रेत -95000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna/Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
रेत खनन के निकतम ग्राम बटेरा में वर्षा जल संचयन हेतु ग्रामीण अधोसरोचना विकास समिति को राशि प्रदान की जावेगी	106000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख -रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 11000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्र.	वृक्षारोपणहेतुनियतस्थल	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट ससे 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3500
2	बटेरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	7500
कुल			11000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	96840
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	187500	18750
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	110000	11000
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	45000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16000
9	VT Training for Labours	Nil	6400
C. Carbon Sequestration			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	100000	100000
D. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	3000	-
Total		495500	356990

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

51. Case No. P2/117/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 3.50 Hectare, Khasra No.- 735 in Village - KAULIWADA, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 44100 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है ए जो चनई नदी पर स्थित है ए जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ए तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का	श्री पूरन लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

नाम व पता	(म.प्र.)
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	735 (सरकारी-गैर वन भूमि) 3.50हे.
स्थल	ग्राम- कौलीवाड़ा, तहसील-वारासिवनी जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -44100 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 44100 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/663 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम - सिंगोड़ीए तह.- वारासिवनी, रकबा 8.396 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/663 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/663 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-कौलीवाड़ा, ग्रामसभा- कौलीवाड़ा. जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 28/02/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-80 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र चन्दन नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 3.5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। डी.एस.आर. में खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है व माईनिंग प्लान में खनन कार्य हेतु 2.1 मीटर गहराई को दृष्टिगत रखते हुये रेत उपलब्धता को देखते हुये 44100 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

जन-सुनवाई में यह पाया गया कि यहाँ अवैध रेत उत्खन्न होता है तथा कोई भी वृक्षारोपण व सामाजिक कार्य किसी के द्वारा नहीं किया जाता है तथा जलस्तर कम होने की बात कही गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सी.ई.आर. मद की राशि का उपयोग गूदा एवं जल संरक्षण के उपयोग हेतु किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -44100घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
9. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
रेतखननकेनिकतमग्रामकौलीवाड़ामेंवर्षाजलसंचयनहेतुग्रामीणअधोसरोचनाविकाससमिति कोराशिप्रदानकीजावेगी	87000 .00

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपणहेतुनियतस्थल	पौधोंकी प्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट ससे 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति – खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	कौलीवाड़ा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
कुल			4500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन\ खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

EMP Budget

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	62820
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	152500	15250
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	31500	3150
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16000
9	VT Training for Labours	Nil	6400
C. Carbon Sequestration			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	50000	50000
D. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	1000	-
Total		310000	261620

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

52.Case No. P2/113/24 PURAN LAKSHKAR,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.00 Hectare, Khasra No.- 625 in Village - SAWANGI, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 26400 cum per annum

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है ए जो चंदन नदी पर स्थित है ए जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीपूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एमेसर्सएम्प्लएन्वरॉनप्राइवेट लिमिटेड ,हैदराबादए तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार , कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य) , मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड , भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	625 (सरकारी-गैर वन भूमि)	4.00हे.
स्थल	ग्राम- सावंगी,तहसील-वारासिवनीए जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -26400घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत -26400घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/675 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम सरंडीए तह. वारासिवनी, रकबा 10.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/675 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र , जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/675 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -सावंगी, ग्रामसभा- सावंगी, जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-80 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के 4 कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये हैं जिससे प्रस्तुत के.एम.एल. ईमेज निर्मित नहीं होती है । अतः खनन क्षेत्र के अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी से संशोधित कराकर प्रस्तुत किये जाये।

ADS-खनन क्षेत्र के के.एम.एल. ईमेज हेतु अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी से संशोधित कराकर प्रस्तुत किये जाये।

53. Case No. P2/119/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.788 Hectare, Khasra No.- 258 in Village - SEVTI, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 84364 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है ए जो सोन नदी पर स्थित है ए जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एमएसएसएम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ए तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	258 (सरकारी-गैर वन भूमि)	8.788 हे.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्थल	ग्राम- सेवती, तहसील-किरनापुरण जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत -84364 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 84364 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/659 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/659 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/659 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-सेवती, ग्रामसभा- सेवती, जिला-बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव दिनांक मार्च 2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-82 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. खदान से कोई आपत्ति नहीं कई वर्षों से रेत का खनन किया जा रहा है, किंतु आज तक वृक्षारोपण नहीं किया। स्थानी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। रॉयल्टी वास्तविक हो। अवैध खनन न हो। निर्धारित क्षेत्र में खनन हो। आश्वासन के साथ सड़क बनाने पर अमल किया जाना चाहिए। 2. खदान के स्वीकृत क्षेत्र में रेत ही नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व रेत खनन होने के बाद दोबारा रेत नहीं आई। अन्य स्थानों से रेत आ रही है। नदी की धारा गाँव की तरफ मुड़ गई है। कच्चे रास्ते से रेत की निकासी की जाती है। धूल अधिक उड़ती है। रोड का निर्माण किया जावे। वृक्षारोपण किया जावे। कोई आपत्ति नहीं।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के 4 कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये हैं जिससे प्रस्तुत के.एम.एल. ईमेज निर्मित नहीं होती है। अतः खनन क्षेत्र के अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी से संशोधित कराकर प्रस्तुत किये जाये।

ADS-खनन क्षेत्र के के.एम.एल. ईमेज हेतु अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी से संशोधित कराकर प्रस्तुत किये जाये।

54. Case No. P2/351/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.700 Hectare, Khasra No.- 01, 167, 210, in Village - Malegaon, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 156600 cum per annum

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र के 3 पार्ट के खसरावार स्थिति स्पष्ट नहीं है, की जाए।

ADS-खनन क्षेत्र के 3 पार्ट के खसरावार स्थिति स्पष्ट नहीं है खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कर संशोधित कराकर प्रस्तुत किये जाये।

55. Case No. P2/223/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.55 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - BANDRABHAN-4, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 189990 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.555 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 4 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,89,990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 62.111 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06के सरल क्रमांक-01 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.55 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.55 हे. छोड़ने पर 10.00 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 189990 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के आसपास से परिवहन रोकने का बिन्दु उठाया गया है अतः उक्त मार्गों से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -189990 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 690 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	69,000	5,000
3	Plantation (12,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,00,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	14,34,000	3,61,000

3. CSR Table

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि
1	ग्रामबान्द्राभान4 केआंगनवाडीकेन्द्रमेपानीकीव्यवस्थाकेसाथशौचालयकानिर्माणकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	1,50
2	ग्रामबान्द्राभान4 केशासकीयप्राथमिकविद्यालयकेअधोसंरचनाविकासकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	1,50

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं .	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	2,00 0
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	2,00 0
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	8,00 0

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षारोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फहेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

56. Case No. P2/225/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - BANDRABHAN-5, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 5 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो	स्टैन्डर्ड टोर			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

विवरण दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 61.111 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र तथा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 3.72 हे. छोड़ने पर 6.28 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 180000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -180000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 300 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	30,000	5,000
3	Plantation (7356 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,65,200	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
12	Accidental cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	10,60,200	3,61,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि में
1	ग्रामबान्द्राभान ⁵ केआंगनवाडीकेन्द्रमेपानीकीव्यवस्थाकेसाथशौचालयकानिर्माणकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	1,50
2	ग्रामबान्द्राभान ⁵ केशासकीयप्राथमिकविद्यालयकेअधोसंरचनाविकासकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	1,50

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7356 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं .	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे।से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	125 6
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	125 6

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	502 4
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेगा मीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

57. Case No. P2/205/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - BANDRABHAN-1, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 7 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 763/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 40.555 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 763/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 763/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-54 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10 हे. प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मी. रखी गई है । नॉन माईनेबल क्षेत्र 3.2 हे. छोड़ने पर 6.80 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 180000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -180000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 280 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,000	5,000
3	Plantation (8160 plants will be planted & Distribution during the first year).	6,12,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

Total EMP Cost	10,70,000	3,59,000
-----------------------	------------------	-----------------

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	सतपुराटाइगररिजर्वईकोसमितिकेअंतर्गतआनेवालेग्रामकेफील्डडायरेक्टरकेखातेमेंराशिजमाकीजाएगी।	3,00,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8160 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे।से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	136 0
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	136 0
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	544 0

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षारोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थल पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पररोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

58. Case No. P2/350/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.- 233, in Village - PALASPANI, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 18000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 233 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – पलासपानी, तहसील – सौंसर, जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पलासपानी रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पलासपानी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 18,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान पिपलाकन्हान रकबा-3.00 संचालित हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 05/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोपरावाड़ी के अंतर्गत ग्राम पलासपानी जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र प्रस्ताव क्र. 22 दिनांक 16/08/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	कन्हान नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-53 के सरल क्रमांक-31 एवं पेज नं.-45 के सरल क्रमांक-51 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कन्हान नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 3.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 1.0 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.0 हे. छोड़ने पर 1.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः उत्तर दिशा की ओर घुमावदार नदी के बहाव में एक टीला स्थित है उसके संरक्षण हेतु 25 मीटर चौड़ाई व 200 मीटर लम्बाई को खनन क्षेत्र से सुरक्षित रखा जावेगा । खनन क्षेत्र के अधिकांश भाग में जलभराव होने से खनन हेतु उपलब्ध 1.0 हे. तथा डी.एस.आर. में दर्शित गहराई अनुसार रेत उपलब्धता को देखते हुये 10000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -10000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(500X150 = □ 75,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	160X500 = □ 80,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1500X50 = □ 75,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (9 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	9,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
iv) Noise Pollution				
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 11		10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 63 Labors -11× 500 × 2)		-	11,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.		40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 63 workers - 11 × 1500)		16,500	3,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	
Total			6,37,500/-	3,55,000/-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

17. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
पलासपानीगाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशालाके विकास के लिए।	50,000
कुल	50,000/-

18. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 660 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1500 वृक्षों का वितरण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	160
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
कुल			2160
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम		

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

59. Case No. P2/198/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - Bandrabhan-11 , Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 11 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 765/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 74.843 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 765/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 765/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-49 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.48 हे. छोड़ने पर 8.52 हे.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 180000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -180000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 530 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	53,000	5,000
3	Plantation (10224 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,66,800	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	12,49,800	3,59,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि में
1	ग्रामबान्द्राभान 11	1,50

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	केआंगनवाडीकेन्द्रमेपानीकीव्यवस्थाकेसाथशौचालयकानिर्माणकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	
2	ग्रामबान्द्राभान 11 केशासकीयप्राथमिकविद्यालयकेअधोसंरचनाविकासकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	1,50

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 10,224 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं .	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	170 4
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेन्द्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	170 4
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	6,81 6

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षारोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फहेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थल पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पररोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

60. Case No. P2/224/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 31.11 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - Bandrabhan 12,13,14, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 559980 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 31.110 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 12,13,14 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो	स्टैन्डर्ड टोर			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

विवरण दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 5,59,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 767/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 85.398 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 767/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 767/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-53 पर दर्ज है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । लीज क्षेत्र के कॉर्डिनेट्स परिवेश पोर्टल पर माईनिंग प्लान के अनुसार नहीं है। अतः खनन क्षेत्र के कॉर्डिनेट्स परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जायेगा ।

ADS- अतः खनन क्षेत्र के कॉर्डिनेट्स परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करें।

61. Case No. P2/354/24 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.200 Hectare, Khasra No.- 136, 202, 203, in Village - Sayra, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 75888 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 136, 202, 203 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.20 हे.
स्थल	ग्राम – सायरा, तहसील – सौसर, जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सायरा रेत खदान, दिनांक- 24/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा सायरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 75,888 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 75,888 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.20 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परतापुर के अंतर्गत ग्राम सायरा जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र दिनांक 21/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कन्हान नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-56 एवं पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 10.200 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 1.2 मीटर रखी गई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 75888 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -75888घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	2,70,000	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		8,17,200	81,720
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3600X150 = □ 5,40,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= □1,00,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3544X50 = □ 1,77,200)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (36 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	36,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			30,000
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			20,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 42		40,000	8,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 42 Labors -42× 500 × 2)		-	42,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 42 workers - 42× 1500)		63,000	40,000
12	Shelter rooms for labors (30*20 ft) =600 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light)		20,000	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.			
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	3,00,000	3,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	
Total			16,66,200/-	9,06,720/-

19. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
प्रत्येक छह माह में 1,80,000 रुपये की राशि से ग्राम सायरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें ग्रामवासियों के मधुमेह, रक्तचाप एवं मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की निशुल्क जांच की जावेगी	1,80,000
कुल	1,80,000

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3544 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं	3600

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

		स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3544
कुल			7344
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

62. Case No. P2/231/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - Bandrabhan-15, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Bandrabhan 15 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन) दिनांक - 01.01.2024			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 70.398 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03. 07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-52 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 174600 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -174600घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	57,000	5,000
3	Plantation (6984plants will be planted & Distribution during the first year).	5,23,800	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000	35,000	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Rs.		
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	10,10,800	3,59,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	सतपुराटाइगररिजर्वईकोसमितिकेअंतर्गतआनेवालेग्रामकेफील्डडायरेक्टरकेखातेमेंराशिजमाकीजाएगी।	3,00,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6984 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे।से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	116 4

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	116 4
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईं जाएगी	465 6
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रा मीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

63. Case No. P2/207/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.555 Hectare, Khasra No.- 207 in Village - Bandrabhan-16, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 189990 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

3. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.555 Ha.			
स्थल	Village - Bandrabhan 16 & Tehsil - Narmadapuram, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बांद्राभन)दिनांक - 01.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,89,990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 70.398 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-50 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.555 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 189990 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -189990घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 560 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	56,000	5,000
3	Plantation (7,632 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,72,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Labour Welfare			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
6	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
7	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
8	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
9	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
10	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,08,400	2,09,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	रा
1	ग्रामजहानपुरकेप्राथमिकशालावप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रकीमरम्मतकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	3,

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7632 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं .	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	1,27 2
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	1,27 2
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	5,08 8

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-
रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख -रखावकियाजावेगा।
परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

64. Case No. P2/118/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.318 Hectare, Khasra No.- 1, 46 Part in Village - BINORA, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 56862 cum per annum

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सोन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लेन्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 एवं 46 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.318 हे.
स्थल	ग्राम-बिनोरा, तहसील-किरनापुर, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 56862 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 56862 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/660 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/660 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/660 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 29/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 6. CSR में कितनी राशि और क्या लाभ दिए जाएंगे ? जितनी खदानें स्वीकृत हैं उन लोगों की 10 घन मीटर रेत उपलब्ध कराने का नियम है। आपने कितनों को दिया ? तथा खदान में रेत उपलब्ध नहीं है। आज दिनांक तक एक भी वृक्ष नहीं लगाए गए। लोगों को रेत प्रदान नहीं की जाती। पीएम आवास के लिए रेत प्रदान की जाए। 7. CSR की राशि कब दी गई ? उस राशि का क्या हुआ ? रोजगार नहीं दिया गया। अलग-अलग स्थान पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। संबंधित भूमि पर रेत नहीं है। रेत खदान का सीमांकन नहीं किया गया। डंप की स्वीकृति भी नहीं ली गई। 8. पूर्व में खदान स्वीकृत होने पर कभी वृक्ष लगाए गए हैं ? बिनौरा पंचायत और गांव के विकास के लिए दूसरे घाट से रेत ला सकते हैं। रेत की उपलब्धता स्वीकृत कराई जाए। ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जावे। बालाघाट जिले से रेत ट्रेन से महाराष्ट्र में जाती है। वाटर का लेवल कम से कम हो रहा है। रेत का खनन मैकेनाइज्ड नहीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	है। मशीनों से खनन किया जाता है। ग्राम पंचायत बिनोरा के लिए क्या सहयोग प्रदान किया जावेगा ? रोड बनाने के लिए , पीएम आवास बनाने के लिए रेत देंगे ? रोजगार प्रदान किया जावेगा ? खदान स्वीकृत न की जावे।बिनोरा ग्राम वासियों द्वारा असहमति व्यक्त की गई।
--	--

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 456 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज है । अतः ब्रिज कार्पोरेशन विभाग का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

ADS- रोड ब्रिज के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन विभाग का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

65.Case No. P2/229/24 Gopal Singh,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 30.55 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Raipur- 21,22,23 , Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 549990 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

4. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 30.555 Ha.
स्थल	Village – Raipur 21,22,23 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें ।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (रायपुर)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैंडर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 5,49,990 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 773/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 95.665 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 773/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 773/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-56 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 30.55 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 549990 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -549990 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three	80,000	15,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	Times in day)		
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 720 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	72,000	5,000
3	Plantation (36,666 plants will be planted & Distribution during the first year).	27,49,950	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 55 Labour @ 500 Rs. = 27,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 55	Nil	55,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 55 labor @1000 Rs.	55,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	31,71,950	2,29,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 6,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	जहानपुरग्रामकेप्राथमिकशालामेंसोलरपेनललिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	6,00,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 36,666 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं .	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	6,111
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलागाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	6,111
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	24,444

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षारोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फहेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पररोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

66. Case No. P2/230/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.55 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - RAIPUR-26, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 177324 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

5. परियोजना विवरण :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.555 Ha.			
स्थल	Village – Raipur 26 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (रायपुर)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,77,324 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन	किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 777/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 90.665 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 777/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 777/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रायपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-59 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.55 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.8 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 177324 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -177324 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 720 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,10,000	5,000
3	Plantation (12,666 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,49,950	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 55 Labour @ 500 Rs. = 27,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 55	Nil	55,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 55 labor @1000 Rs.	55,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	14,09,950	2,29,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	चँदलाग्राममेंप्राथमिकशालामेंसोलरपेनलकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	3,00,000

17. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12666 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं .	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	211 1
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	211 1
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	844 4

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पररोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

67. Case No. P2/222/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 31.24 Hectare, Khasra No.- 691/1 in Village - JASALPUR-2, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 524832 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

6. परियोजना विवरण :-

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 31.240 Ha.			
स्थल	Village – Jasalpur 2 & Tehsil – Narmadapuram, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (जासलपुर)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 5,24,832 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

उत्पादन	किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 783/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 96.161 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 783/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 783/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जासलपुर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 09.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-61 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 31.24 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.8 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 524832 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -524832घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1320 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,32,000	5,000
3	Plantation (35,088 plants will be planted & Distribution during the first year).	28,11,600 26,31,600	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	32,43,600	3,59,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 6,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जासलपुर 2के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	3,00,000
2	ग्राम जासलपुर 2में प्राथमिक शाला में सोलर पेनल के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	2,00,000
3	सतपुरा टाइगर रिजर्व ईको समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम के फील्ड डायरेक्टर के खाते में राशि जमा की जाएगी ।	1,00,000

18. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 35088 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं .	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	5,848

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	5,848
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगा ईजाएगी	23,39 2
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रा मीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

68. Case No. P2/200/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.243 Hectare, Khasra No.- 1163 in Village - NIMSADIYA-1, Tehsil - Hosangabad, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 267207 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

3. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 20.243 Ha.			
स्थल	Village - Nimsadiya 1 & Tehsil - Narmadapuram, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (निमसडिया 1) दिनांक - 01.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,67,207 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 785/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 92.631 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 785/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 785/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निमसडियाजिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-62 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 20.243 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.20 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 267207 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -267207 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1450 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,45,000	5,000
3	Plantation (24,292 plants will be planted & Distribution during the first year).	18,21,950	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 45 Labour @ 500 Rs. = 22,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 45	Nil	45,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 45 labor @1000 Rs.	45,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	24,56,950	3,69,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निमसाड़िया 1 के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को आर्थिक सहायता	2,00,000
2	ग्राम निमसाड़िया 1 मे परिवहन मार्ग एव नाली की मरम्मत हेतु	2,00,000

19. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 24292 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ
.		

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	4,049
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	4,049
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	16,194

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-
रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा।
परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

69. Case No. P2/433/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.-73, in Village - MUAAR, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 73 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 05.00 हे.
स्थल	ग्राम – मुआर, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मुआर रेत खदान, दिनांक-18/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मुआर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 16.660 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.660 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डमरू के अंतर्गत ग्राम मुआर, जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-92 के सरल क्रमांक-04 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 5.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 60000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -60000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारी के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.75 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (800X150= □ 1,20,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (100X500= □ 50,000)	3,05,000	30,500
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (2700X50 = □ 1,35,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (50 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	25,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors - 40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square	50,000	5,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	feet		
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	7,61,000/-	4,34,500/-

21. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम मुआर के आंगनवाड़ी अधोसंरचना विकास के लिए राशि प्रदान की जावेगी	20,000
ग्राम मुआर के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 80,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति खिरवा के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	80,000
कुल	1,00,000

22. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2700 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
------	----------------------------------	---------------------	--------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

			(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2700
कुल			3600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

70. Case No. P2/201/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 778/1 in Village - SANGAKHEDAKALA, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 168000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

7. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.
स्थल	Village – Sangakheda kalan & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (सांगाखेड़ाकलॉ) दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,68,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 7 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 84.843 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकला जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06के सरल क्रमांक-09 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 10.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है । माईनिंग प्लान में गहराई 2.8 मी. दर्शाई गई है, रेत उपलब्धता डीएसआर के अनुसार 120000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -120000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 470 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	47,000	5,000
3	Plantation (12000 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,00,000	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	14,17,000	3,39,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	सांगाखेड़ाकलामेस्वास्थ्यकेंद्रकेनिर्माणकार्यकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	2,00,000
2	सांगाखेड़ाकलामेसड़ककेचौड़ीकरणकेविकासकेलिएग्रामपंचायतकेखातेमेंफंडजमाकरानेहेतु।	2,00,000

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 12,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ
----	--------------------------	-------------------

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	2,000
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	2,000
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	8,000

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-
रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव,
मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख -
रखावकियाजावेगा।
परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार,
बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

71. Case No. P2/226/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 18.733 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - Balabhet-2, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 224796 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 03.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

8. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	शासकीय 18.733 Ha.
स्थल	Village – Balabhet 2 & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बालाभेट)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,24,796 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 6 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 95.398 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरमके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/2023-24 नर्मदापुरमदिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/			

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चपलासर जिला नर्मदापुरमके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.11.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 12के सरल क्रमांक-73 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 18.733 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 224796 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -224796घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 750 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	75,000	5,000
3	Plantation (22749 plants will be planted & Distribution during the first year).	16,85,850	20,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 15 Labour @ 500 Rs. 7,500 Rs./twice per year @500 x 2 x15	Nil	15,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 15 labor @1000 Rs.	15,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	21,90,850	3,34,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बलभेट २ के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	2,50,000
2	ग्राम बलभेट २ के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा कराने हेतु ।	2,50,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

21. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 22480 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	3,747
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातियाँ	3,747
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाईजाएगी	14,986

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

- ✓ वृक्षोंकारोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीय वनसमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधित कराराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ाना नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा।
परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पररोपण संभवन होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

72. Case No. P2/432/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.660 Hectare, Khasra No.-305, in Village - Satraavan, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 31920 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 3/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 305 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.660 हे.
स्थल	ग्राम – सतरावन, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सतरावन रेत खदान, दिनांक-12/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सतरावन रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 31,920 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 31,920 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 19.000 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.66 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के	

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सतरावन जिला रायसेन के अनापत्ती ग्राम सभा प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 15/08/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां ा भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 92 के सरल क्रमांक-3 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 2.660 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 31920 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है। खनिज विभाग द्वारा टेण्डर मो जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -31920 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. **खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारीयों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।**
4. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S. No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(700X150 = □1,05,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = □ 50,000)	21,100
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1120X50= 56,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (14 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	14,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and	30,000	3,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

		Rs. 3000/year for Maintenance.		
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)		60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		1,00,000	1,00,000
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation		
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		6,67,700/-	4,11,100/-

23. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम सतरावन के खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

कुल	1,00,000
-----	----------

24. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1120 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1120
कुल			1920

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 जून 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 जून 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP’s commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 जून 2024

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -
In addition to Standard TOR

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

A- In government land

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

B. In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant (standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

4. **For blasting or for non blasting:** if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
 - I. OWN
 - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 - III. Cost benefit ratio
 - IV. If grass land : grass land development & maintenance
 - V. Catchment of the major river & its protection plan.

5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) If crusher is outside of mines

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. SITE VISIT REQUIREMENTS :

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report)

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³ /yr without crusher
2. murum- 20,000 m³/yr
3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less then 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा। खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेंगे।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, In tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिमा प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

Standard ToR for Building Construction Project

For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature _____
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor _____

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

Regarding shops

- I. Floating population
- II. Utility facilities
- III. Parking etc

- CER - As per Public Hearing
Physical/Costing

- Year of plantation to be completed.
- CER works completion time
- Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
- If any violation.
- If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
- No. of D.G. set & its Power
- No. lifts/floor wise
- In campus if any commercial shops
 - Then parking
 - Utility places
- Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
- Periphery length & plantation – No. of Rows
Width of plantation.